शनिवार,
१५ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, १५ नवंम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गए—भाग १ प्रकाशित नहींहुआ)

पुनर्वास वित्त व्यवस्थान (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुनर्वास वित्त व्यवंस्थान अधिनियम, १९४८ को अग्रेतर संशोधित करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दीजीये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

टैलिग्राम तार (अवैध कब्जा) संशोधन विधेयक

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि टैलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम १९५०, को संशोधित करने के लिए एक विधेयक को पुरःसारित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

विधेयक को पुरःसारित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राज बहादुर : मैं विधेयक को पुरःसारित करता हूं ।

लोहा तथा इस्पात समवाय एकत्रीकरण विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण के तथा संघ सरकार के हित में लोहे तथा इस्पात के उत्पादन तथा निर्माण मे लगे हुए और परस्परों से निकट सम्बन्ध रखने वाले समवायों के एकत्रीकरण, तथा तत्सम्बन्धित एवं तत्प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए एक विधेयक को पुरःसारित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

विधेयक को पुरःसारित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःसारित करता हूं ।

दरगा ख्वाजा साहब विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ख्वाजा मोइनुद्दिन चिस्ती का दरगा जिसे साधारण तौर पर

[डा० काटजू]

दरगा ख्वाजा साहब अजमेर, नाम से पहचाना जाता है, उस दरगा के लिए तथा उसके धर्मस्व के उचित प्रशासन का उपबन्ध करने के लिए एक विधेयक को पुर:सारित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

विधेयक को पुर:सारित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर:सारित करता हूं

मणिपुर न्यायालय फ़ीस (संशोधन तथा मान्यता दान) विधेयक

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं *प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय फ़ीस अधिनियम, १८७०, को, जहां तक मणिपुर राज्य पर लागू होने का सवाल है, उस राज्य में १९५० के आसाम अधिनियम ८ द्वारा किए गए संशोधनों को प्रभावी करने के लिए तथा कुछ मामलों में आरोपित न्यायालय-फ़ीस को मान्यता देने के लिए संशोधित करने वाले एक विधेयक को पुर:सारित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

विधेयक को पुर:सारित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं विधेयक को पुर:सारित करता हूं ।

सदन का कार्य

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यदि आप अनुमति दें, श्रीमान्, तो अगले संकल्प को लेने के पहले, मैं आगामी सप्ताह के कार्य के बारे में कुछ दिग्दर्शन करना चाहूंगा । कम से कम, मैं इतना बता दूंगा कि हम चाहते हैं, कि बशर्ते कि आपको सुविधा हो, खाद्य चर्चा अगले सोमवार को याने परसों हो । श्रीमान्, यदि आपकी तथा सदन की अनुमति हो, तो मेरी राय में खाद्य चर्चा जितनी जल्दी हो उतनी अच्छी । अत: मैं सुझाव रखता हूं कि अगले सोमवार को याने परसों प्रश्न काल के बाद हम खाद्य चर्चा आरंभ करें ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता–दक्षिण—पूर्व) : आज के समाचार पत्रों में जाहिर हुआ है कि प्रस्तावित खाद्य सम्मेलन रद्द किया गया है । क्या यह बेहतर नहीं होगा कि पहले एक विज्ञप्ति सदस्यों में परिचालित की जाए जिससे कि हमें खाद्य के बारे में सरकारी भूमिका मालूम हो जाये और चर्चा वस्तुनिष्ठ रहे ? चर्चा दो दिन बाद रखना अच्छा होगा क्योंकि खाद्य सम्मेलन रद्द किया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसीलिए मैं चाहता हूं कि खाद्य चर्चा शीघ्र हो । वह जितनी जल्दी हो सके उतनी अच्छी । मैं ने दिवस भी सुझाया है । यह कहना पूर्ण रूप से बराबर नहीं कि खाद्य सम्मेलन रद्द किया गया है । वह स्थगित किया गया है ; अर्थात यह तुरन्त नहीं किन्तु कुछ समय बाद सम्मिलित होगा । अभी अभी हम कुछ तात्कालिक महत्व के मामलों पर विचार कर रहे थे जिनका प्रभाव, यदि मैं कहूं, खाद्य समस्या के एक छोटे अंग पर ही पड़ता था । केवल इसी सीमित अंग के लिए सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था किन्तु सर्वांगीण समीक्षा के लिए । इस सीमित अंश के बारे में हमने राज्यों

---

*राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पुर:सारित

के खाद्य मंत्रियों की सहमति से—जिनसे हम निरंतर संपर्क रखते आये हैं—विनिश्चय किया है कि आज तक जो नीति कार्यान्वित की गई है उसमें कोई विशेष परिवर्तान न किया जाय। यहां वहां केवल कुछ हल्के हेरफेर किये जा सकते हैं। अतः इस समय खाद्य सम्मेलन का आयोजन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और हमने सोचा कि ठीक यही होगा कि बिना किसी जल्दबाजी के, व्यापक विषयों पर विचार करने के लिए कुछ समय के बाद सम्मेलन आयोजित किया जाय।

पाकिस्तान तथा भारत के बीच प्रव्रजन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव केवल प्रस्तुत करें। बाद में मैं संशोधनों के बारे में कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। जिससे मुख्य प्रस्ताव के साथ साथ इन संशोधनों पर भी विचार हो सकेगा।

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू): जी हां। वास्तव में मेरी इच्छा भी यही थी कि आरम्भ में केवल प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूं और माननीय सदस्यों के भाषण सुनने का अवसर तथा लाभ प्राप्त करने के बाद मुझे इस विषय में जो कुछ कहना है सो कहूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "पाकिस्तान तथा भारत के बीच प्रव्रजन से उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "पाकिस्तान तथा भारत के बीच प्रव्रजन से उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार किया जाय।"

अब, इस प्रस्ताव के बारे में बहुत से संशोधन भेजे गये हैं जिन में से अधिकतर मैंने स्वीकार किये हैं। केवल कुछ थोड़ों के बारे में मेरे मन में सन्देह है। यह स्पष्ट है कि इन संशोधनों में कही गई सारी बातों के बारे में मेरे मन में सन्देह नहीं है किन्तु उनके कुछ अंशों के बारे में है। इस प्रकार के सामान्य प्रस्ताव के विषय में व्याप्ति निश्चित करना अति कठिन हो जाता है। विभिन्न बातों से सम्बद्ध संशोधन आ सकते हैं जिन की व्याप्ति-अनिव्याप्ति निर्णीत करना अति कठिन है। किन्तु इस प्रस्ताव के शब्दों की अपेक्षा भावों की ओर अधिक ध्यान देने से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि "प्रव्रजन से उत्पन्न हुई परिस्थिति" का अर्थ सामान्य है। जिन विषयों पर विचार कराना है: वे, मेरी राय में, सुनिश्चित हैं। प्रव्रजन से उत्पन्न हुई प्रत्यक्ष परिस्थिति यही विचारणीय विषय है। इस प्रस्ताव में भारत तथा पाकिस्तान के बीच के सारे झगड़ों का समावेश नहीं हो सकता। यदि यह निर्वचन सही हो, और मेरी राय में यह सही है, तो कुछ संशोधनों में दिये गये कुछ सुझाव कम से कम आज की अवस्था में मूल प्रस्ताव की व्याप्ति के बाहर जाते हैं। बाबू रामनरायण सिंह, श्री बूवराध सामी, श्री बहादुर सिंह तथा डा० खरे द्वारा जो चार संशोधन अलग अलग पेश किये गये हैं उनके कुछ अंश तो नियमानुकूल घोषित किये गये संशोधनों में समाविष्ट हैं। इसके बारे में वास्तविक कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु इन संशोधनों में अन्य कुछ अंश हैं जिनके बारे में मैं ने यह उचित समझा कि पहले माननीय सदस्यों की राय जान लूं और बाद में निर्णय करूं।

एक संशोधन में दोनों बंगालों को एक कर देने की बात कही गई है। यह कहने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि प्राप्त परिस्थिति का यह एक इलाज है।

[अध्यक्ष महोदय]

किन्तु सवाल यह है कि क्या इस प्रतिपादन को संशोधन अथवा संशोधन का प्रभावी अंश समझा जा सकता है । वह केवल मत प्रदर्शन तो है नहीं । अतः मेरा सुझाव इसको नियमबाह्य ठहराने की तरफ है ।

अन्य एक संशोधन में भारत सरकार को अपनी सीमा का उलंघन कर के विदेशी क्षेत्रों में सेना रखने के लिए कहा गया है । मेरी राय में यह भी नियमबाह्य है ।

डा० खरे ने अपने संशोधन में कहा है कि विभाजन की बुनियाद नष्ट हो जाने के कारण हमें पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल को एक कर देना चाहिये । यहां भी वही प्रश्न उपस्थित होता है । अतः वास्तव में मेरा अभिप्राय है कि उक्त संशोधनों के ये अंश नियमबाह्य है क्योंकि वे प्रस्ताव की व्याप्ति के अंदर नहीं हैं । अन्य इलाज भी सुझाये गये हैं और यह सवाल पूछा जा सकता है कि केवल इन्हीं को नियमबाह्य क्यों घोषित किया गया । मैं समझता हूं कि इनके बीच का अन्तर समझाना मेरे लिए आवश्यक नहीं है । अन्य सारे संशोधन नियमानुकूल ठहराये गये हैं । मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहता हूं कि ये अंश अपवर्जित क्यों नहीं करने चाहिये । यदि कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहे तो वह कह सकता है ।

तो यह जाहिर है कि मैं इन अंशों को नियमबाह्य घोषित करता हूं ।

अब मैं विभिन्न माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने अपने संशोधन पेश करें ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : क्या मैं सदन के माननीय नेता से पूछ सकता हूं कि क्या सरदार अमर सिंह सहगल, जो कांग्रेस पक्ष के सदस्य हैं, द्वारा प्रस्तुत संशोधन अधिकृत माना जाएगा अथवा निजी तौर पर प्रस्तुत समझा जाएगा ? मुझे प्रतीत होता है कि यह एक अति महत्वपूर्ण सवाल है जिसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में यह स्पष्ट है कि पेश किये गये किसी संशोधन अथवा प्रस्ताव की नियमानुकुलता अथवा नियमबाह्यता परखते समय सभापति का यह काम नहीं कि वह प्रस्तावक की पक्ष निष्ठा मालूम करे । प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह किसी पक्ष का हो, सदस्य के सारे अधिकार प्राप्त हैं और वह अपनी पसंद के किसी संशोधन का समर्थन कर सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, आपका उचित आदर करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि मैंने सदन के माननीय नेता से स्पष्टीकरण की प्रार्थना की थी । मेरे प्रश्न का लक्ष्य आप नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी, मैं नहीं समझता कि सदन के माननीय नेता इस प्रश्न का निर्णय कर सकते हैं । माननीय सदस्य ध्यान में रखें कि कार्यवाही का संचालन सभापति के अधीन होता है । सदन के बाहर इसके विपरीत भी हो सकता है । अतः यदि कोई प्रस्ताव है और माननीय सदस्य उसको पेश करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई उनको उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से रोक सकता है । जिन माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है उनको यह बताना चाहिये कि वे उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं या नहीं ।

अब जिन माननीय सदस्यों द्वारा सशोधनों की सूचनाएं भेजी गयी हैं उनसे मैं कहूंगा कि वे अपने अपने संशोधन पेश करे ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : ने एक संशोधन पेश किया जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्तर पर आबादियों की अदला-

बदली की जानी चाहिए और जायदादों की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री टी० क० चौधरी (बरहामपुर) ; श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) ; श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांडी–बोलनगिर) ; सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) ; बाबू रामनरायण सिंह (हज़ारीबाग––पश्चिम) श्री बूवराधसामी (पेराम्बलूर) तथा श्री बहादुरसिंह (फ़ीरोज़पुर–लुधियाना-रक्षित-अनुसूचित जातियां) ने विभिन्न संशोधन पेश किये जिनमें पाकिस्तान सरकार की भर्त्सना एवं भारत सरकार की आलोचना की गई थी और भारत सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह कोई ऐसा कठोर कदम उठाए कि जिससे पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय ताकि अल्पसंख्यक लोग शांति व इज्जत के साथ वहां रह सकें ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) ने यह संशोधन पेश किया कि भारत व पाकिस्तान के बीच तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे शांति पूर्ण तरीकों से सुलझाने का और दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का सदन का दृढ़ संकल्प है ।

श्री पी० एन० राजभौज (सोलापुर–रक्षित-अनुसूचित जातियां) ने एक सशोधन पेश किया जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की अनुसूचित जातियों के लाखों गरीब व्यक्तियों का विशेष उल्लेख कर उनकी सुरक्षितता के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की चेतावनी दी गई थी ।

सरदार अमर सिंह सहगल (बिलासपुर) ने यह संशोधन पेश किया कि परिस्थिति पर विचार करने के बाद यह सदन उन सब कदमों का समर्थन करता है जो भारत सरकार अब तक उठा चुकी है ।

ये सारे संशोधन औपचारिक रूप से प्रस्तुत किये जाने के बाद **अध्यक्ष महोदय** ने इन संशोधनों के साथ मूल प्रस्ताव की चर्चा करने की अनुमति दी ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता, दक्षिण-पूर्व) : आज हम एक परम महत्व के विषय की चर्चा करनी है । सदन के सामने यह प्रस्ताव पहली बार नहीं आ रहा है ।

भारत सरकार ने अब तक जो नीति अपनाई है वह जरा भी संतोषजनक नहीं रही और वह सरकार के लक्ष्य की सिद्धि नहीं कर सकी । हमारे सामने जो समस्याएं हैं वे इतनी गम्भीर हैं कि हमें उन पर क्रोधवश या विकारवश होकर विचार नहीं करना चाहिए । इस जटिल तथा विशाल समस्या को सुलझाने का मार्ग ढूंढने की आशा से हम अपने विचार अत्यन्त निष्कपटतापूर्वक प्रगट करना चाहते हैं ।

पिछले ५ वर्षों में पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों का सवाल अनेक तरह से हल किया है । पश्चिमी पाकिस्तान में तो एक तरह से अल्पसंख्यक रहे ही नहीं । पूर्वी पाकिस्तान में विभाजन के समय हिन्दुओं की संख्या १ करोड़ ४० लाख थी । पाकिस्तान सरकार की पिछली जनगणना के अनुसार भी हिसाब लगाया जाय, तो ४५ लाख अल्पसख्यक भारत आ चुके हैं ।

इस समस्या के बारे में पास्कितान तथा भारत के बीच एक या दो बार नहीं अपितु तीन बार समझौते एवं करार हो चुके हैं । दिनांक ८ अप्रैल १९५० को पाकिस्तान तथा भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच जो करार हुआ उसका मैंने विरोध किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि यह व्यवस्था सफल नहीं होगी । परन्तु ८ अप्रैल, १९५० के समझौते के बुनियादी सिद्धान्त की पिछली

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

२।। वर्षों में पाकिस्तान ने निरंतर अवहेलना की है और पिछले कुछ महीनों में फिर बड़े पैमाने पर पूर्वी बंगाल से अल्पसंख्यकों का निष्क्रमण हुआ है । यहां एक बात पर मैं विशेष जोर देना चाहता हूं कि जब हजारों-लाखों की संख्या में निष्क्रमण होता है तब कहीं हमारी जनता तथा सरकार जागृत होती है । और जब निष्क्रमण की मात्रा इससे अल्प रहती है तो हम समझते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की परिस्थिति सुधर गई है । यह दृष्टिकोण गलत है । इस समस्या को देखने का सही तरीका आंकड़ों को देखना नहीं, बल्कि माननीय दृष्टिकोण से देखना है । हमें देखना चाहिए कि क्या अल्पसंख्यक वहां रह सकते हैं ।

सन् १९५० के भीषण हत्याकांड के बाद भी जो अल्पसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान में डटे हुए थे उन्होंने अत्यंत विपरीत परिस्थिति में भी वहां रहने की मानसिक तैयारी कर ली थी । फिर भी सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में ३ लाख आदमियों को पूर्वी बंगाल से धकेल बाहर किया गया है । इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति ने उन्हें निष्क्रमण पर बाध्य कर दिया होगा ।

एक देश से दूसरे देश में प्रव्रजन के बुनियानी कारण क्या हैं ? पाकिस्तान का जन्म ही हिन्दुओं व भारत के प्रति मुसलमानों की घृणा से हुआ है । पाकिस्तान के जन्मदाता का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा इस्लामी राज्य स्थापित करना था, जिसमें मुसलमान ही मुसलमान हों और उसके अनुयायियों ने उसके इस उद्देश्य को प्रत्येक सभव उपाय से पूरा किया है । हिन्दुओं के सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजकीय अधिकार छीन लिये गये हैं ।

पुनर्वास मंत्री जी ने एक बार पूछा था कि यदि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को निकाल देना चाहता है तो पार-पत्र परिपाटी लागू होने के बाद अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं ? पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को बाहर जाने से क्यों रोकता है ? इसका सरल उत्तर यह है कि पाकिस्तान उनको धीरे धीरे निचोड़ना चाहता है, बड़ी संख्या में एकदम निकालना नहीं चाहता है ।

और एक बात यह है कि पाकिस्तान सरकार केवल अल्पसंख्यकों को नहीं कुचल रही है । वहां के अधिकारारूढ़ राज्य-कर्ताओं ने इस ढंग का प्रशासन चलाया है जिस द्वारा लोकतंत्रीय आदर्शों में अथवा वास्तविक स्वातंत्र्य में श्रद्धा अभिव्यक्त करने की सारी कोशिशें कुचल ी जाती हैं । यही कारण है कि अब्दुल गफ्फार खान सरीखे महान् नेता तथा उनके साथी पाकिस्तानी जेलों में सड़ रहे हैं और पूर्वी बंगाल के १८ मुसलमान विद्यार्थियों को अपनी मातृ-भाषा का समर्थन करने के फलस्वरूप छाती पर गोलियां झेलनी पड़ी हैं ।

सरकारी सूत्रों से उपलब्ध होने वाले आंकड़े अनेक कारणों के फलस्वरूप अत्यंत भ्रामक होते हैं । हमें इस समस्या की तरफ आंकड़ों की दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए । बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या विद्यमान परिस्थिति में पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यक वहां रह सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या भारत की स्वतंत्र सरकार उनके संरक्षण के लिए कोई प्रभावपूर्ण कदम उठा सकती है ?

विभाजन की बुनियाद यह थी कि दोनों देशों के अल्पसंख्यक अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे । मैंने विभाजन का विरोध शुरू से किया था । जब भारत का विभाजन

अनिवार्य मालूम हुआ तब मैंने बंगाल तथा पंजाब के अर्थात् पाकिस्तान के विभाजन का समर्थन किया। उसी समय हमने सरकारी स्तर पर आबादियों और जायदादों की अदला-बदली का सुझाव दिया। गांधी जी ने तथा कांग्रेसी नेताओं ने उसको अस्वीकार किया। दिनांक १५ अगस्त को पं० जवाहर-लाल नेहरू ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का निर्देश करते हुए कहा था :

> "इस समय हम हमारे उन भाई-बहिनों का भी ख्याल करते हैं जो हमसे राजकीय मर्यादाओं के कारण अलग हो गये हैं और दुर्भाग्यवश जो नवोदित स्वातंत्र्य का आस्वाद नहीं ले सकते हैं। वे हमारे हैं और भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाय, वे हमारे ही रहेंगे। अच्छे और बुरे दिनों में भी हम सहभागी रहेंगे।"

मैं पं० जवाहरलाल नेहरू से, जो आज हमारे प्रधान मंत्री हैं, इस वचन की पूर्ति की मांग करता हूं। फरवरी १९५० में पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शांततापूर्ण उपाय निष्फल होने पर सरकार द्वारा अन्य उपायों का अवलंब किया जायेगा। मैं प्रधान मंत्री से पूछता हूं कि क्या ऐसा समय अभी नहीं आया है ?

जब ईंट का बदला पत्थर से दिया जाने की आशंका प्रतीत हुई तो मिस्टर लियाकत अली खान भारत में आये और ८ अप्रैल, १९५० का समझौता हुआ जो गत २॥ वर्षों से जारी है। अभी तक ऐसे समझौते, करार, आश्वासन, वचन अनेक दिये गये हैं जिनका बाद में पाकिस्तान द्वारा भंग हुआ है। यदि पाकिस्तान सरकार बार बार वचन भंग करती है तो भारत सरकार के पास उसके लिये क्या जवाब है ?

अब मैं उस भयप्रद आत्मसंतुष्ट वृत्ति का उल्लेख करता हूं जिसका परिचय प्रधान मंत्री बार बार देते आये हैं। वे कहते हैं कि यह समस्या लगभग हल हो चुकी है। पुनर्वास मंत्री श्री जैन ने भी एक बार कहा : "यह आरोप लगाया जाता है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को निकाल देना चाहता है तथा आगे यह भी शिकायत की जाती है कि अल्पसंख्यकों को बाहर जाने से रोका जाता है अपितु ये दो बात विसंगत हैं।"

वस्तुस्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अल्पसंख्यक एक तो चले जाय अथवा धर्मान्तर करके या गुलाम बनकर रहें।

पार-पत्र के बारे में वस्तुस्थिति क्या है दिनांक १५ अक्तूबर तक प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आते रहे। और दिनांक १८ अक्तूबर से यह संख्या एकाएक घट गई। जिन स्टेशनों द्वारा पहले प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आते थे वहां से अब एकाएक आठ, दस या शून्य आदमी आने लगे।

अब समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं कि यह संख्या एकाएक क्यों घट गई। आखिर यह पार-पत्र व्यवस्था क्या है ? पार-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल तथा खर्चीली बना दी गई है कि गरीब, अज्ञ तथा निरक्षर जनता इसको न समझ सकती है और न कार्यान्वित कर सकती है। अतः यह मानना गलत होगा कि वहां की हालत ठीक है और जो लोग आना चाहते हैं वे आसानी से आ सकते हैं। पाकिस्तान से आये हुए अनेक मुसलमानों ने भी इस तथ्य की पुष्टि करने वाली गवाहें दी हैं। हजारों या लाखों गरीब तथा अज्ञ लोग घरबार छोड़ कर यहां से वहां भाग रहे हैं और उन्हें पार-पत्र नहीं मिल सकता। कल्पना कीजिये कि उनके मन

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

म कितनी घनी निराशा छा जाती होगी । उनका क्या होगा ? अगर उन्होंने धर्मान्तर कर लिया तो क्या वह भारत के लिये भूषणावह चीज़ होगी ?

इस समस्या के दो पहलू हैं । एक पुनर्वास का और अभी जो लोग पूर्वी बंगाल म हैं उनके भविष्य का । पुनर्वास का काम तो एक राष्ट्रीय दायित्व है जिसे बिना किसी पक्षाभिनिवश के सब को मिल कर निभाना चाहिए । ६५ लाख लोगों को फिर से बसान का काम आसान नहीं है । मैं इस विषय में किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं । लेकिन विचार कीजिये कि यदि और ५०/६० लाख लोग पाकिस्तान से यहां आ जायें तो उनके पुनर्वास के लिए कहां से पैसा लाओगे ? आप की विकास योजनाएं कहां रह जायेंगी ? भारत को इस आर्थिक संकट का बोझ क्यों उठाना चाहिए ?

कुछ मूलभत शर्तों के अधीन विभाजन स्वीकार किया गया था । जब पाकिस्तान द्वारा उन शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो विभाजन की बुनियाद नष्ट हो गई है । इस दृष्टि से विभाजन का लोप हो जाता है और हम पर किसी वचन का बन्धन नहीं रहता है । हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है । भारत ने अपने अल्पसंख्यकों का रक्षण किया है । किन्तु हिन्दू धम अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं सिखाता है । इसीलिये हम प्रधान मंत्री को बारंबार चेतावनी देते हैं कि उठो, जागो और अपने दायित्व को समझो, परिस्थिति को पाशवी विकारों के कब्जे में मत छोड़ दो ।

म श्री भूपेन्द्र कुमार दत्त के साहस का आदर करता हूं, जो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य हैं और जिन्होंने सदन के सामने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाये हैं । उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के कपट-कारस्तानियों की लम्बी सूची पेश की । श्रीमान्, यदि आप अनुमति द तो श्री भपेन्द्र कुमार दत्त के वक्तव्य की एक प्रति मैं सदस्यों के उपयोग के लिए सदन पटल पर रख दूं । **[पुस्तकालय में रखी देखिये संख्या पी० ७७/५२]**

मैं पाकिस्तानी जनता की आलोचना नहीं कर रहा हूं किन्तु पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि वह अत्यन्त क्रूरतापूर्ण ढंग से शासन कर रही है जिससे लोग अपने बुनियादी अधिकारों तक का उपयोग नहीं कर सकते ।

मैं आप को असंख्य घटनाओं का वर्णन सुना सकता हूं । इनमें से महिलाओं की बेइज्जती की घटनाएं अत्यंत दुःखद तथा अपमानजनक हैं । इन मामलों का निर्देश करते समय आवाज रुक जाती है । एक सीता के हरण से रामायण खड़ी हुई । एक द्रौपदी के वस्त्रहरण से महाभारत का निर्माण हुआ । और आज इतन बड़े पैमाने पर महिलाओं की बेइज्जती हो रही है फिर पर मी असहाय, निष्क्रिय तथा नामर्द होकर बैठे हैं । सरकार इन घटनाओं के बारे म सबूत मांगती है । स प्रकार का हास्पद वक्तव्य मेरे मित्र श्री जन ने निकाला है । भला इन बातों के भी कहीं सबूत मिल सकते हैं ?

मेरे पास भीषण अत्याचारों के असंख्य उदाहरण मौजूद ह जिनके बारे में मैं नाम ग्राम सब कुछ बता सकता हूं । वहां फौलादी परदा लगाया गया है । वहां के प्रशासन का नैतिक अधःपतन हो चुका है ।

सीमावर्ती संघर्षों की घटनाएं भी निरतर हो रही हैं । म प्रधान मंत्री से

प्रार्थना करूंगा कि यदि वे सीमावर्ती नागरिकों की कोई मदद या सहायता करने में असमर्थ हों तो, कम से कम, उनको घटनाओं का गाम्भीर्य घटा कर बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे केवल पकिस्तानी प्रचारकों को उपयुक्त सामग्री मिल जाती है।

इसका इलाज क्या है ? हमने कुछ इलाज सुझाये। इसके फलस्वरूप हमें निम्न उपाधियां मिलीं : बच्चे, झक्की, कुवैद्य म अन्य उपाधियां भूल गया। वे तो अप्रतिहत मिलती ही रहती हैं। उत्तर देने का यह तरीका प्रधान मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने हम सबको बुला कर सोच विचार नहीं किया। मैं इस समस्या का फायदा दलबन्दी के लिये नहीं उठाना चाहता। हम आग से खेल नहीं करना चाहते। किन्तु हम इलाज चाहते हैं। हमने कुछ इलाज सुझाये। अन्य इलाज भी सुझाये जा सकते हैं। आर्थिक निर्बन्धन यह एक इलाज है। भूमि की मांग यह दूसरा इलाज है। कुछ लोग यह भी सुझाते हैं कि आबादियों की अदला-बदली कर लेनी चाहिए। किन्तु यह मार्ग इतना सरल नहीं है। हम वे घृणास्पद परिणाम देख चुके ह जो लाखों के प्रव्रजन से पैदा होते हैं। उन्हीं दुष्परिणामों की पुनरावृत्ति होने की सम्भावना है। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के संरक्षण का दायित्व अपन ऊपर लेकर सरकार को कोई राजकीय इलाज निकालना चाहिए।

मुझ युद्धपिपासु बतलाया जाता है। किन्तु राजकुमारी अमृत कौर के समक्ष गांधी जी ने मुझे कहा था : "यदि पाकिस्तान अपन कर्तव्य का पालन न करे और अन्य कोई इलाज उपलब्ध न हों, तो आपको पूर्वी बंगाल पर अधिकार कर लेना चाहिए। मैं युद्ध में सहयोग नहीं दूंगा क्यों कि उसमें मेरी श्रद्धा नहीं है। किन्तु मैं उनका शुभचिन्तन करूंगा जो अन्याय का प्रतिकार करने का साहस प्रगट करेंगे। मैं एकदम युद्ध घोषित कर देने को नहीं कह रहा हूं। शायद वैसा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। हैदराबाद में युद्ध नहीं हुआ। गुण्डे लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। वे तो बिना किसी त्याग के लाभ उठाना चाहते हैं।

यदि इस समस्या को हल करने का कोई शान्तिपूर्ण तरीका हो तो उसे कार्यान्वित करो। कौन युद्ध चाहता है ? युद्ध के कारण पैदा होने वाले संकट परंपराएं मुझे अच्छी तरह से मालूम हैं। कोई यह नहीं कहता कि कल युद्ध घोषित कर दो। कोई ऐसा प्रभावपूर्ण कदम उठाओ जिससे इन लोगों को प्रारंभिक अधिकारों का उपभोग प्राप्त हो तथा शरणार्थी अथवा भिखारी अथवा गुलाम बनने की नौबत इन पर न आये। साम्यवादियों के अलावा अन्य सब दलों ने इस मांग की पुष्टि की है। कांग्रेसजन तो खुली तौर पर इस मांग का समर्थन नहीं कर सकते किन्तु मैं जानता हूं कि लाखों कांग्रेस जनों के विचार हमारे जैसे ही ह।

प्रधान मंत्री बहुत बार कहते हैं कि घाव भरने की चिकित्सा पर उनका भरोसा है। लेकिन क्या नासूर पड़े हुए फोड़े पर आप चन्दन का तेल लगायगे ? आपको उसकी जड़ तक जाना चाहिए। सरकार इस समस्या को सुलझान की बजाय टाल रही है। गांधी जी की विचार प्रणाली कुछ भी हो, वे कायरता को बरदास्त नहीं करते थे। उनकी विचारप्रणाली में निष्क्रियता का कोई स्थान न था। वे कभी स्तब्ध तथा असहाय होकर नहीं बैठते थ। व कहते थे : बन सके तो अहिंसा से अन्याय का प्रतिकार करो और आवश्यकता

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

होने पर हिंसा से भी प्रतिकार करो किन्तु अन्याय के सामने कभी सिर न झुकाओ।

भारत सरकार पर मेरा आरोप है कि वह हमारे देश के लोगों को पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे अन्यायों के सामने घुटने टेकने को विवश कर रही है। इस प्रकार सरकार समूचे देश को अपमानित करा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार को शान्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, किन्तु वह शान्ति मोल लेने म इज्जत नहीं खो बैठनी चाहिए।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन हुए]

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : में सदन में प्रगट किये गये दोनों अभिप्रायों से सहमत नहीं हूं। सरकार को परिस्थिति का वास्तविक आकलन नहीं है और विपक्षियों द्वारा सुझाये गये इलाज भी मझे जचते नहीं हैं।

अल्पसंख्यकों से उचित व्यवहार करने का आश्वासन ही विभाजन का आधार था। पाकिस्तान ने इस आश्वासन को भंग किया है। अखिल भारतीय कांग्रस समिति ने जून या जुलाई १९४७ में जिस प्रस्ताव द्वारा विभाजन स्वीकार किया उसमें पाकिस्तान के हिन्दुओं को आश्वासन दिया गया था कि उनके हितों का रक्षण करने का दायित्व कांग्रस तथा सरकार पर रहेगा।

२० दिसंबर, १९४९ को खुलना जिले के एक देहात में चिनगारी पड़ने के बाद सन् १९५० का दावानल शुरू हुआ। सन् १९५० में दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच समझौता हुआ। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उस समझौते के बुनियादी सिद्धान्तों का आदर नहीं किया। उक्त समझौते में विश्वस्त मंडल की गुंजाईश रखी थी जो प्रव्रजनकारियों की संपत्तियों की देखभाल करता। किन्तु यह मंडल परिणामतः नहीं के बराबर रहा। पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक आयोग बनाने का भी सवाल था। उक्त आयोग के एकमेव हिन्दू सदस्य अभी हाल पाकिस्तानी जेल में हैं। शहरी विभागों में मकानों का अधिग्रहण का दौर भी जारी है जिससे मध्यम वर्गीय हिन्दुओं को खदेड़ा जा रहा है और देहातों के अज्ञ एवं गरीब हिन्दुओं को नेतृत्वहीन बना दिया जा रहा है। जब प्रव्रजनकारी लोग मार्गक्रमण करने लगते हैं तो उन्हें रास्तों में सताया तथा अपमानित किया जाता है। हमारे पुनर्वास मंत्री इन घटनाओं के बारे में संदिग्ध उत्तर देते हैं तथा सबूत मांगते रहते हैं।

मैं इस नीति का विरोध करता हूं। यह तो शुतुरमुर्ग जैसी आत्मवंचना है। दौर्बल्य तथा असहायता की भावना से यह आत्मसंतुष्ट वृत्ति उत्पन्न होती है जो वस्तुतः अत्यन्त घातक है।

प्रव्रजनकारी तथा अन्य हिन्दुओं से 'लियाकत निधि' सस्ती से वसूल किये जाने की शिकायतें सरकार को मिली होगी। पार-पत्र प्रणाली जारी होने के रोज हजारों अल्पसंख्यक अपना घरबार छोड़ कर विभिन्न स्टशनों में जमा हुए थे। उनको पार-पत्र नहीं मिल सके। उनका आगे क्या हुआ? क्या सरकार द्वारा इस बारे में कुछ कदम उठाए गयें हैं? पाकिस्तान में किसी क्षेत्र में कोई संकट या असंतोष पैदा हुआ तो शीघ्र ही उसकी जिम्मेवारी भारत तथा हिन्दुओं पर लादी जाती है। पाकिस्तान पटसन की कीमत, जो गत वर्ष प्रति मन ४० रु० थी, इस वर्ष ५, ६ या ७ रु० तक गिर गई है। इस आर्थिक संकट के लिए हिन्दुओं को जिम्मेवार बताया जाता है। डा०

मुखर्जी द्वारा चटगांव पहाड़ियों का उल्लेख किया गया । किन्तु वहां की हालत उनके वर्णन से भी अधिक बिगड़ी हुई है। यह मामला हम जागतिक न्यायालय में लड़ सकते थे ।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : मैं निवेदन करता हूं कि इस बहस के लिए और एक दिन रखा जाय ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मुझे खेद है कि इस सत्र के दौरान में कोई दिन मिलना असंभव है । अन्य महत्वपूर्ण कार्य अभी बाकी है । मुझे बहुत दुख है, और यदि में कहूं, तो मुझे इस बात का खेद है कि इतने दीर्घ भाषण दिये जा रहे हैं । मैं लाचार हूं । इस तरह ३ नहीं ३० भी दिन रखे गये और भाषण अति दीर्घ रहे तो बहस समाप्त नहीं होगी ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं अपना भाषण शीघ्र समाप्त करूंगा । गत सत्र में ढाका के उस शिविर के बारे में प्रश्न पूछा गया था जहां अपहृत लड़कियों को विमोचन के बाद रखा जाता है और जहां की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है । मैं राजशाही जिले के नाचोल में हुई घटना का भी उल्लेख करना चाहता हूं जहां ईला मित्र नामक एक लड़की को उसके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अमानुष अत्याचार किये गये ।

अब मैं इलाज के बारे में कुछ कहूंगा। युद्ध का इलाज यहां व्यवहारिक नहीं है और आबादियों की अदलाबदली से भी समस्या सुलझेगी नहीं । आर्थिक बहिष्कार का भी सुझाव दिया गया है । परन्तु मेरी राय में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के कुछ पहलुओं का हल करने के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संगठन अथवा जागतिक न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं । हमें हमारा दृष्टिकोण आंग्ल-अमरीकी गुटों को अच्छी तरह समझाना चाहिए । आखिर पाकिस्तान उन्हीं की युद्धनीति का बच्चा है । उनकी सक्रिय सहायता के बिना पाकिस्तान टिक नहीं सकता ।

पूर्वी पाकिस्तान में परिस्थिति अत्यंत गंभीर तथा खतरनाक है । फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे दिलों में घबराहट नहीं होनी चाहिये। मुझे पूर्वी बंगाल की साधारण जनता की भलमनसाही में विश्वास है । मैं पूर्वी बंगाल की सरकार तथा पूर्वी बंगाल की जनता में फरक़ करता हूं। पूर्वी बंगाल की सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभाव में है। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी पाकिस्तान के हितों में संपूर्ण एकता नहीं है।

भाषण के अन्त में मैं और एक बात का उल्लेख करूंगा। अभी अभी पूर्वी बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा बतलाया गया है कि वहां की बस्ती दुनिया में सब से अधिक घनी है। और इस लिये उस को अधिक भूमि मिलनी चाहिये। भारत सरकार को इस दावे का तीव्र विरोध जाहिर कर देना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं अत्याधिक ज़िम्मेवारी की भावना से इस चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हो रहा हूं । लोगों के दिलों में भय तथा चिन्ता छाई हुई है। हमारी यह ज़िम्मेवारी है कि यहां हम ऐसी कोई बात न कहें जिस से यह भय बढ़ जाय।

सभापति महोदय : अब तो समय समाप्त होने जा रहा है । मैं समझता हूं कि उपहार के बाद माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखना चाहिये ।

इसके बाद ढाई बजे तक सदन उपाहार के लिए स्थगित हुआ ।

[सभापति महोदय]

उपहार के बाद ढाई बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री गिडवानी (ठाना): क्या आप कृपया भाषणों पर काल मर्यादा लागू करेंगे क्योंकि वक्तव्यों की संख्या अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के विषय में काल मर्यादा लागू करने तथा अधिक वक्ताओं को बोलने देना कठिन है । मैं इसीलिये प्रतिनिधिक मतों को सुनना पसन्द करता हूं जिस से सदन के सामने सभी दृष्टिकोण प्रगट हो सकेंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो सुझाव रखे गये हैं वे क्रोध तथा विकारों को प्रेरणा देने वाले हैं और इस उत्तेजना का फल भारत तथा पाकिस्तान की साधारण जनता को भोगना पड़ेगा ।

इन दुःखभरी कहानियों के विषय में उत्तेजक भाषण दे कर उनसे अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर रोक लगा देना चाहिये । इस में कोई सन्देह नहीं कि संतुष्ट वृत्ति का त्याग तत्काल कर देना चाहिये । मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कोई इलाज ढूंड निकालेंगे जिससे अधिक समस्या तुरन्त हल न हुई तो भी हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे ।

जहां तक पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गुट का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वह निकृष्टतम प्रतिक्रियावादियों का एक भद्दा झुंड है जो अत्यंत निंद् व्यवहार कर रही है और जिसके अत्याचारों का अन्त करने के लिये हमें हमारे तरीकों से भरसक कोशिश करना चाहिये ।

मैं उस पक्ष की ओर से बोल रहा हूं जिसकी पाकिस्तान शाखा पर बुरी तरह दमनचक्र जारी है । डा० मुखर्जी ने सदन के बाहर खुली तौर से आर्थिक बहिष्कार, युद्धघोषणा आदि उपायों का पुरस्कार किया है । इस प्रचार के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान में बहुत तनाव पैदा हुआ है । साधारण जनता की स्वाभाविक भलाई के कारण ही अभी तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हो पाये हैं ।

परिस्थिति का गांभीर्य कम दिखाने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है । लेकिन मेरे मित्र यहां कौन सानिश्चित उपाय सुझाना चाहते हैं ? वे कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिये हम अग्रेसर हों ।

क्या हम यह सोचते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय मुसलमान मानवोचित व्यवहार कर ही नहीं सकते ? हम जानते हैं पाकिस्तान की कल्पना गलत थी और उसका निर्माण गन्दे तरीकों से हुआ । साम्राज्यवाद के षड़यंत्रों के फलस्वरूप हमारे देश का विभाजन हुआ । संयुक्त राष्ट्र संगठन में अरब-एशियाई गुट के सदस्य के नाते भारत तथा पाकिस्तान जो मिल जुल कर काम कर रहे हैं उसको आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद बरदाश्त नहीं कर सकता । इस देश में जब कभी सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं तब उनके पीछे जो साम्राज्यवादी हाथ था वह छिपा नहीं रहा है ।

हमें भूलना नहीं चाहिये कि न्यायोचित समाज व्यवस्था के लिये पाकिस्तान में आन्दोलन चलता आया है । डा० मुखर्जी ने ही बताया है कि बंगाली भाषा के प्रश्न पर १८ मुसलमान युवकों ने ढ़ाका की सड़कों पर अपना खून बहाया । पाकिस्तान के मुसलमान नाविकों ने पार-पत्र व्यवस्था के विरोध में हड़ताल किया था । जब ख्वाजा नाजिमुद्दीन ढाका के विमान क्षेत्र पर पहुंचे तो ढाका के नागरिकों ने पार-पत्र व्यवस्था के

विरोध में उन्हें काले झंडे दिखाये। दिनांक १३ अक्तूबर को पाकिस्तान के ७०० रेल कर्मचारियों की सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिस में कहा गया था कि यदि पार-पत्र व्यवस्था जारी की गई तो वे इस्तीफ़ा दे देंगे। इस पार-पत्र व्यवस्था के कारण पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल के बीच खरीदी-बिक्री करने वाले सामान्य व्यापारियों को क्षति पहुंच रही है और वे इसका पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे हैं। यदि ये बातें सही हों तो हमें उपायों के विषय में निराश क्यों होना चाहिये? हम इस निर्णय पर क्यों पहुंचते हैं कि पाकिस्तान को धमकाये बगैर कोई फल नहीं प्राप्त होगा? यदि इन धमकियों के अनुसार हम कदम उठाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा?

मैं यह अवश्य कहता हूं कि सरकार को सबल वृत्ति से काम लेना चाहिये। दिनांक ७ अगस्त, १९५० को बंगाल बहस के दौरान में प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि किसी विदेशी सरकार से आप केवल दो प्रकार के सम्बन्ध रख सकते हैं। राजकीय, आर्थिक अथवा राजनैतिक दबाव डालकर बातचीत करने का एक प्रकार और युद्ध का दूसरा प्रकार इसके अलावा और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। प्रधान मंत्री जी का यह प्रतिपादन बिल्कुल सही है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि युद्ध तथा बहिष्कार की चर्चा तथा अन्य धमकियों का असर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिये बहुत खतरनाक होगा। हमें इन बातों का उच्चारण नहीं करना चाहिये। यदि भारत आगे बढ़ कर कुछ उदार संकेत करता है तो उससे उसकी प्रतिष्टा को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। भारत सरकार को पार-पत्र प्रणाली को भंग करने के लिये पुनः वार्तालाप शुरू कर देने चाहिये। हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि दोनों देशों की सामान्य जनता म काफ़ी सद्भावना है। यदि हमारी सरकार सामान्य जनता के हितों का कोई काम करेगी तब तथा तभी उसको कुछ सफलता मिलेगी। हमें पाकिस्तान में सदिच्छा मिशनें भेजनी चाहिएं। हम एक बार निश्चय कर लें कि जहां तक भारत-पाकिस्तान नीति का सम्बन्ध है हम सारे झगड़े बातचीत के द्वारा ही निवटायेंगे फिर पाकिस्तान हमें चाहे कितना भी उत्तेजित क्यों न करे। यदि हमने पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया और आगे चल कर पाकिस्तानी भूमि में हमारी सेनायें भेजी तो क्या होगा? आप क्या समझते हैं कि आंग्ल-अमरीकी राज्यकर्त्ता खामोश बैठे रहेंगे? उन्होंने काश्मीर में तो मनमुराद खून बहाया ही है। उनके षड़यंत्र जारी रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की चिनगारी पड़ते ही उन को मौका मिल जाएगा और वे आज से कई अधिक बेशरमी के साथ इस देश पर राज्य करने लगेंग। इस प्रकार हम आंग्ल-अमरीकी गुट के फंदे में फंस जायेंगे।

इन सब बातों का ख्याल करते हुए पाकिस्तान से मित्रता की नीति से पेश आना ही हितकर होगा। मैं मानता हूं कि इस नीति का अवलंब करना अति कठिन है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने पाकिस्तान के अन्दर लोकशाही मोर्चा मज़बूत बनाने में कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया है। वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालने वाला यह एक अच्छा उदाहरण है। जो लोग आज पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की बात जोरशोर से कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने काश्मीर के कृषि सुधारों का कड़ा विरोध किया था। जिन सुधारों की वजह से आज काश्मीर की जनता हमारे साथ है।

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

मुझे विदित है कि हमारे देश के नभो-मंडल रात का घन तिमिर छाया हुआ है। परन्तु यदि प्रात-काल की आशा करनी है तो हमें भारत तथा पाकिस्तान की साधारण जनता के परिश्रमों पर ही निर्भर रहना होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुषमा सेन। मै साड़े चार बजे प्रधान मंत्री से उत्तर देने के लिए कहूंगा। मुझे बताया गया है कि उन्हें लगभग एक घंटा लगेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैं आपके हाथों में हूं। आप ही निश्चित करें।

पंडित अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़--पूर्व व ज़िला बलिया--पश्चिम) : मैं प्रार्थना करता हूं कि इस चर्चा के लिये हमें कम से कम एक दिन और दिया जाय। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जल्दी से नहीं निबटाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या और एक आध दिन निकालना संभव है ?

बाबू रामनारायण सिंह : यह सारे सदन की प्रार्थना है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कल समय निकालना बहुत कठिन है। हो सकता है कि यदि सदन की इच्छा हो तो सत्र के अन्त में मैं एक दिन निश्चित कर दूं। इस विषय पर सर्वंकश चर्चा होना आवश्यक है परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि भाषणों की संख्या से विषय पर अधिक प्रकाश कैसे पड़ता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी ठीक यही अनुभव कर रहा था। अत: मैं ने कहा कि बे मतलब के छोटे भाषणों के बजाये दीर्घ प्रतिनिधिक भाषण ही अच्छे रहेंगे। इसी लिये मैं ने वक्ताओं पर कोई कालमर्यादा नहीं लगाई। अब केवल एक घंटा बाकी है। मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे कम से कम समय में अपनी बात कह दें जिससे अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले।

कुछ माननीय : सदस्य हम ६ बजे तक बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उससे कोई अड़चन दूर होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): मैं प्रार्थना करती हूं कि चर्चा के लिये एक और दिन दिया जाय जो सत्र के अन्त में न हो क्योंकि यह अत्यंत शीघ्रता का मामला है।

डा० एन० बी० खरे : हम कल रविवार को समवेत हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य बोलने के लिये इच्छुक हैं वे अन्य वक्ताओं के भाषणों के समय सदन में उपस्थित नहीं रहते। वे भाषण दे कर चले जाते हैं ऐसे लोगों के लिये रविवार को आकर भाषण देने की इच्छा रखना आसान है। मैं तो आज शनिवार की बैठक के लिये भी अनिच्छुक था। किन्तु मामला महत्वपूर्ण होने के कारण मैं ने शनिवार की बैठक की अनुमति दी। अधिकतम सुविधा का समझौता यह हो सकता है कि कुछ ज्यादा देर तक हम बैठें।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन छ: बजे तक या उसके कुछ समय पहले तक बैठे तो मेरा कोई विरोध नहीं। मैं चाहता हूं कि हम भाषण कम करके केवल मुद्दे ही बतायें। मैं समझता हूं कि छ: बजे तक बैठने के लिये आपत्ति नहीं। लेकिन किसी कारण से छ: बजे के बाद अवधि नहीं बढ़ना चाहिए। यदि सदन के नेता को कोई असुविधा नहीं हो तो मैं उन्हें पांच बजे उत्तर देने के लिये पाचारण करूंगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : इससे कुछ समय अधिक मिलेगा। प्रत्येक सदस्य को स्वयं स्वीकृत काल मर्यादा का सदैव स्मरण रखना चाहिये।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर दक्षिण): मैं विस्तृत भाषण करके सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहती। मुझे विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में यह कहना है कि उन्हें इस तरह बसाया जाय जिससे कि भाषा के कारण वे पृथकत्व महसूस न करें। और एक बात है। अभी पाकिस्तान में ८६ लाख हिन्दू रहते हैं। उन में आधे से अधिक स्त्रियां होंगी। हम वस्तुस्थिति से विदित हैं कि वहां महिलाओं पर भीषण अत्याचार होते हैं। वहां की पुलिस भी इन अत्याचारों में शामिल रहती और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती। मैं प्रधान मन्त्री से प्रार्थना करती हूं कि पाकिस्तान स्थित महिलाओं के सम्मान-रक्षण के विषय में वे विशेष तौर पर सचेत रहें।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जितनी भी स्पीचें हुई हैं उनसे एक बात बड़ी साफ़ हो जाती है कि कुछ बातों के मुताल्लिक सारे हाउस के अन्दर एग्रीमेन्ट (मतैक्य) है। पहली बात यह कि इस वक्त तक तीन दफ़ा एग्जोडस (प्रव्रजन) हो चुका है, सन् १९४७ से ले कर १९४९ तक, १९५० में और अब। एग्जोडस के मुत्ताल्लिक कुछ डिफरेंस(मतभेद) हो सकता है, लेकिन तीन दफ़ा आये यह साफ़ है। इधर लोगों का ख्याल है २६ या २७ लाख हिन्दू आये हैं, उन का ख्याल है कि ४० लाख आये हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर तो एग्रीमेन्ट है कि अगर ४० लाख नहीं तो कम स कम २६ लाख जरूर आये हैं।

एक बात और है जिस के मुताल्लिक ऐग्रीमेन्ट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि "दि कन्डिशन आफ़ हिन्दूज़ देअर इज़ नाट सेटिसफक्टरी" उन का खयाल है कि भले ही बहुत ज्यादा खराब उन की हालत न हो, लेकिन हालत अन-सेटिसफ़ैक्टरी (असामाधानकारक) जरूर है। यह बात भी साफ़ है।

अब सवाल यह है कि क्या वजूहात हैं, क्या कारण हैं जिन की वजह से यह हालत है। इस के लिये पांच बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन्स (सम्बन्ध) अच्छे नहीं हैं। इसलिये यह हुआ। इवैक्वी प्रापर्टी (विस्थापित सम्पत्ति का मामला है, काश्मीर का मसला है। दूसरी बात यह है कि वहां की एकानमिक कंडीशन्स (आर्थिक अवस्था) ऐसी है जिन की वजह से लोगों को पाकिस्तान से यहां आना पड़ा। तीसरी बात पासपोर्ट (पार-पत्र) की बतलाई जाती है जिस की वजह से लोगों को आना पड़ा।

इन तमाम बातों के अलावा चौथी बात कही जाती है कि वहां सपेरेट इलेक्टोरेट (विभक्त निर्वाचक मण्डल) हैं इसलिये वहां सुलह नहीं हो सकती। पांचवीं बात यह कही गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की पालिसी बाहर निकालने की है। यह पांच बातें कही गई हैं।

जहां तक पहली चार बातें हैं वहां तक तो सब का एग्रीमेन्ट है। एक बात के मुताल्लिक इख्तिलाफ़ हो सकता है। पाकिस्तान गवर्न-मेंट इस बात को नहीं मानती।

एक बात और कही जाती है वह हमारी जिम्मेदारी की बात है। यह बात सभी कहते हैं कि यह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की जिम्मे-दारी है। कहा जाता है सरदार पटेल की भी यही राय थी, पंडित जी की भी

[लाला अचिन्त राम]

यही राय थी और महात्मा गांधी की भी यही राय थी । लेकिन इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने का रिकार्ड क्या है ? जिम्मेदारी सभी महसूस करते हैं । वहां से जो लाखों आदमी आते हैं उन को हम लेते हैं और इस तरह अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं । फ़र्क सिर्फ़ यह है कि एक कहता है कि इस जिम्मेदारी को इस तरह पूरा करना चाहिये और दूसरा कहता है कि इस तरह करना चाहिये । लेकिन ज़िम्मेदारी के मुताल्लिक सब का एग्रीमेंट है ।

अब सवाल रह जाता है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने का हमारा तरीका क्या हो । किन तरीकों से हम हालत को ईज़ (शान्त) कर सकते हैं । इसके लिये यह तरीके बतलाये जाते हैं :

१. जितने हिन्दू हैं उन को यहां बसाया जाये लेकिन यह बात फ़िज़ूल है ।

२. दूसरी बात है ऐक्सचेंज आफ़ पापुलेशन (आबादियों की अदला-बदली) हमारे श्यामा प्रसाद साहब जब लड़ाई का काम लेते हैं तो ज़ोर से इस बात को नहीं कहते । क्यों ऐसा नहीं करते मालूम नहीं ।

३. तीसरा तरीका बताया जाता है कि टैरीटरी (भूमि) ली जाय ।

इन बातों से तो लड़ाई ही होगी । न तो वह आसानी से टैरीटरी लेने देंगे और न आसानी से ऐक्सचेंज आफ़ पापुलेशन ही होगा । इन का नतीजा वार (युद्ध) ही होगा । तो अगर आप वार के लिये तैयार हैं तो आप इन बातों की मांग कीजिये । और अगर वार के लिये तैयार नहीं हैं तो इन बातों को छोड़िये । रही सेंक्शनस (प्रतिबन्धों) की बात, वह तो जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा फ़िज़ूल की बात है । पाकिस्तान वाले अपनी चीज़ें, जैसे कोयला वगैरह, दूसरी जगहों से ले सकते हैं ।

तो अगर आप वार के लिये तैयार नहीं हैं तो यह चीज़ें नहीं हो सकतीं । लेकिन म समझता हूं कि इस वक्त हालत ऐसी हो गई है कि आप यह नहीं कह सकते कि यह जैसी चल रही है वैही चलती रहे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग गवर्नमेंट को या पंडित जी को एक्यूज़ (दोषारोपित) करते हैं यह भी ठीक नहीं है । पंडित जी ने एक वक्त कहा था कि अगर पाकिस्तान ने काश्मीर में कोई क़दम उठाया तो इट विल बी आल आउट वार । इससे ज़ाहिर होता है कि ऐसी हालत पैदा हो सकती है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वार करनी पड़े । और जब हमारे पंडित जी ने यह कहा होगा तो इन सब बातों को सोच लिया होगा । तो यह कहना कि गवर्नमेंट वार से घबराती है इन्साफ़ के खिलाफ़ होगा ।

अब एक तरफ़ यह कहा जाता है कि बी मोर पीसफ़ुल (अधिक शान्ति से काम लो) और जितने अमेंडमेंट आयें हैं उन में कहा गया है कि बी मोर फ़र्म (अधिक दृढ़ बनो) बी मोर एक्टिव (अधिक सक्रीय बनो) ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : हमें या तो अंग्रेजी या हिन्दी चाहिये । हम खिचड़ी नहीं चाहते हैं । मैं इसका विरोध करता हूं ।

लाला अचिन्त राम : तो कुछ कहते हैं कि पीसफ़ुल (शान्त) रहो और कुछ कहते हैं कि स्ट्रांग (दृढ़) रहो । यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं । जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं पंडित जी की पालिसी से दिल से इत्तिफ़ाक़ करता हूं । जब इंडो-पाकिस्तान पैक्ट (भारत पाकिस्तान

क़रार) हुआ था तो मुझे शक था कि यह कुछ कर पायेंगे या नहीं, लेकिन अब मैं समझता हूं कि उस से बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे इस बात से यक़ीन है कि इस से देश का भला हुआ है।

मैं आप को अपने कुछ तुच्छ सुझाव देना चाहता हूं। आप उन्हें मानें या न मानें। मेरा ख्याल है कि यह जो वार की बात कही जाती है यह तो आउट आफ़ क्वेश्चन (अविचारणीय) है। मैं खुद वार के ख़िलाफ़ हूं। आई विल नाट जाइन वार, लैट दी कंट्री गो टू वार। खुद मेरी यह बात है। यही गांधी जी की भी बात थी। लेकिन मेरा कहना है कि जितने भी पीसफ़ुल मथड्स (शान्तिपूर्ण तरीके) हो सकते हैं पहले उन सब को इस्तेमाल कर लिया जाय उसके बाद वार करो। मैं समझता हूं कि जैसे गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने और बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ (मंत्रालय) बनाई हैं उसी तरह एक और मिनिस्ट्री कायम की जाय जिस का नाम हो, मिनिस्ट्री फ़ार ईस्ट बंगाल माइनारिटीज़। इस वक्त जो हमारे माइनारिटी मिनिस्टर (अल्पसंख्यक मंत्री) हैं वह तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिये हैं। यह जो मिनिस्ट्री होगी यह पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के लिये होगी। इस मिनिस्ट्री के इनचार्ज मौलाना आजाद हों और इस मिनिस्ट्री के ऐडवाइज़र (सलाहकार) मैं दरख़ास्त करूंगा, आचार्य विनोबा भावे बनाये जायें। उन से दरख़ास्त की जाय कि वह इस मिनिस्ट्री के ऐडवाइज़र हों। इस में ऐसे लोग रखने चाहिएं जिन के दिल में हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये बराबर हमदर्दी हो। जिन्होंने मेवों को बसा कर इस बात का सबूत दिया है। तो यह काम कैसे हो? तो इस मिनिस्ट्री में मौलाना आज़ाद दो सौ मुसलमानों की सरविसेज़ रिक्रूट करें। और जिन मुसलमानों को मौलान आजाद एनलिस्ट (भर्ती) करें, दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो टू ईस्ट बंगाल एन्ड वर्क देयर। लेकिन जो आदमी इस काम के लिये ऐनलिस्ट किये जायें वह ऐसे हों जो कि पार्टीशन (विभाजन) को ऐस्टैबलिश्ड फैक्ट (स्थिर तथ्य) समझते हों। दूसरे वह लोग इंडो-पाकिस्तान रिलेशन्स को बेहतर बनाने के हक में हों, तीसरे वह लोग नान वाइलेंट (अहिंसक) हों और नान ऐग्रेशन (अनाक्रमण) में फ़ेथ (श्रद्धा) रखते हों और चौथे वह लोग सिक्युलरिज़्म (धर्मातीतता) में विश्वास करते हों। जो लोग इन चार बातों में विश्वास करते हों उन की ही सरविसेज़ हासिल की जायें। यह मिनिस्ट्री पांच साल के लिये क़ायम की जाये।

अभी हमारे डाक्टर मुकर्जी साहब ने कहा कि एक साहब ने वहां कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संविधान सभा) में कहा कि मसलिम मासेज (जनता) माइनारिटीज़ को निकालना नहीं चाहते, हैड्स आफ़ गर्नमेंट (सरकारी मुख्य अधिकारी) उन को निकालना नहीं चाहते, कुछ छोटे मोटे आफ़िशियल्स (अधिकारी) हैं जो कि ऐसा करना चाहते हैं।

अगर यह हालत है तो आप बढ़िये। जब तक वह मानते हैं आप कोशिश करिये। कोई ऐसा इलाज हो तो आप करिये। पहले मामला और शुरू हो गया, फिर पासपोर्ट का मामला शुरू हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ मामले हो गये। इस की वजह से १२ लाख आये, १४ लाख आये, अब सुनते हैं कि कम हो रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ को भी ट्राई किया जाय। अगर आपको वहां पर अच्छा रैसपांस (प्रतिक्रिया) हो तो इसको चलाइये। वह भी समझ लें कि इस तरह के चार्जेज़ (आरोप) लग रहे हैं कि वहां पर ऐबडक्शन (अपहरण) होते हैं, कनवर्शन्स (धर्मान्तर) होते हैं, वहां पर कोअशन (ज़बर्दस्ती) है, आप्रैशन (दमन) है

[लाला आचन्त राम]

तमाम बातें होती हैं । इन तमाम बातों के लिये अंडर दी डाइरैक्शन आफ़ अवर मिनिस्टर, अंडर मौलाना आज़ाद एंड अंडर दी ऐडवाइस आफ़ आचार्य विनोबा भावे, वह आदमी काम करें । मैं समझता हूं कि गुडविल (सदिच्छा) का काम करने वालों का तबादला हो सकता है । उस तरफ़ से २०० ऐसे हिन्दू जिन में उन का विश्वास हो, वह यहां पर काम करें । मैं २०० मुकर्रर नहीं करता, २०० हों, ४०० हों, ५०० हों, लेकिन वह जा कर काम करें । उन का काम क्या हो ? वह वहां पर जा कर देखें कि जो प्रैस का टोन (स्वर) है वह ठीक हो । अगर दो सौ मुसलमान ऐसे हों तो वह वहां पर जा कर इन्तज़ाम करें, और अगर उनका इन पांच बातों में फ़ेथ हो तो वह वहां जा कर पहले प्रैस को ठीक करने की कोशिश करें । वह वहां जा कर गांवों में पंचायतें करें और मुसलमानों और हिन्दुओं को बतायें कि उन का इन्टरैस्ट (हित) किस में है । और वह वहां पर ऐसा लिटरेचर बांटें कि जिससे पीस कायम हो । वह वहां के लोगों की तकलीफ़ को गवर्नमेंट के सामने रखें । लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट शिकायतों की परवाह नहीं करती, इन को वह लोग गवर्नमेंट के आदमियों से मिल कर ठीक करें ।

मैं आप को यह पीस का मैथड बतला रहा हूं । आप इन सारी चीजों को रखें और यहां पर वापस आ कर आप देखें कि रैसपांस अच्छा हो तो आप पार्लियामेंट के सामने रखिये कि यह चीज़ है । पाकिस्तान इसको मानता है । उस हालत में मैं समझता हूं कि तमाम पार्टियों का ईस्ट पाकिस्तान माइनारिटी बोर्ड (पूर्वी बंगाल अल्पसंख्यक मण्डल) बनाया जाय । वह तमाम काम को देखें और उस पर रिपोर्ट दें और वह बोर्ड हर साल के साल रिव्यू (समीक्षा) करे और हर साल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे कि पूर्वी पाकिस्तान में अब हालत अच्छी है या अब हालत खराब है । लैट दैम ऐडवाइज़ व्हाट दे थिंक । सिचुएशन को रिव्यू कर के वह गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को बतलायें और फिर गवर्नमेंट आफ़ इंडिया मुनासिब कार्यवाही करे ।

तो इस स्कीम को मैं ने आप के सामने रखा है । इस को पूरा करना आप का काम है । मैं यह लड़ाई की बात नहीं कहता, यह पीस की बात है । इस को आप पूरे जोर से कीजिये और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाय तो ज़रूर कामयाबी होगी । अगर वार हो गयी तो, जैसा मैंने पहले कहा वार से कोई काम निकलने वाला नहीं है । इस लिये मैं कोई वार की बात नहीं कहता हूं । मैं यह पीसफ़ुल मैथड बतला रहा हूं । इसलिये मेरा ख्याल है कि इस वक्त खास तौर पर जो ईस्टर्न पाकिस्तान की हालत है वहां वह आदमी जा कर काम करें और सही हालत को पेश करें । इस तरह से हालत को ठीक किया जा सकता है । इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह रास्ता है । अब सोचते रहने की बात नहीं है, आइदर मूव राइट और मूव लैफ्ट, बट यू शुड मूव । आप को पूरी तरह कोशिश करनी चाहिये और मुझे आशा है कि आप को कामयाबी होगी । हर साल आप इस तरह काम कर के रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हालत क्या है । पांच साल हो गये हैं, आप ने काम किया । अब आप पांच साल इस तरह ट्राई करिये । पांच साल इस तरह की स्कीम पर काम करें । मौलाना आज़ाद माइनारिटीं के इन-चार्ज (प्रभारी) हों और विनोबा भावे उनके एडवाइज़र

हों। इस तरह होगा तो मेरा ख़याल है कि कामयाबी होगी। इस तरह हम को चलना है। हाथ रख कर नहीं बैठना है। आप कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। लेकिन मैं यह पीसफुल मैथड बतला रहा हूं लैट अस मूव विद दिस स्कीम, इस को आप ऐक्सैप्ट करिये। इस तरह आप को काम करना है और यू शैल हैव टु मूव फ़र्दर।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: विभाजन के बाद इस विषय पर बारंबार बहस होती आयी है। हम यहां आ कर भाषण देते हैं लेकिन इन भाषणों का मूल्य क्या रहा है? वे निष्फल रहे हैं। अतः हमारे दिलों में घनी निराशा छाई हुई है।

किन्तु हम भूल नहीं सकते कि फिरसे गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। कुछ ही दिनों के अन्दर ३ लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से बाहर चले आये हैं। उन्हें सीमाओं पर ही रोक लिया गया जिसकी वजह से उन्हें कतिपय कठिनाइयां झेलनी पड़ीं। पश्चिमी बंगाल की सरकार विस्थापितों के इस प्रचण्ड प्रवाह को समाने में असमर्थ है। पारपत्र प्रणाली जैसे कृत्रिम उपायों से जब यह प्रवाह रुक जाता है तो सरकार सोचती है कि समस्या इतनी अधिक गंभीर नहीं है और उस में संतुष्ट वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम सरकार को परिस्थिति के गांभीर्य के बारे में सचेत करें। हमें बुनियादी बातों का ख्याल कर इस समस्या के कारणों की जांच करनी चाहिये।

विभाजन के समय यह आश्वासन अभिप्रेत था कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता के पूरे अधिकार उपलब्ध होंगे और उनके जीवन, सम्मान तथा सम्पत्ति का रक्षण किया जायेगा। विभाजन के बारे में हम कुछ लोग एक दिन गांधीजी से चर्चा कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था: "आप विभाजन क्यों चाहते हो?- आप समझते हैं शान्ति मिलेगी? शान्ति नहीं मिलेगी।" आज मैं अनुभव करती हूं कि उनकी दृष्टि कितनी यथार्थ थी।

पश्चिमी पाकिस्तान के लोग तो अब सदा के लिये यहां आ कर ठहर गये हैं। हम उनकी समस्या की विशालता का निर्धारण कर उनके पुनर्वास के काम में लग सके। परन्तु पूर्वी बंगाल में क्या हुआ? पूर्वी बंगाल की कुल ४ करोड़ की आबादी में से १ करोड़ ३५ लाख लोग हिन्दू थे। इतनी बड़ी संख्या में वे लोग भारत में आने की कल्पना से हमारी अपनी सरकार भी घबरा गई। इस लिये हम बहुत दिन तक इस समस्या का अस्तित्व स्वीकार करने के लिये भी नाराज़ थे। पूर्वी बंगाल की परिस्थिति की विशेषता यह है कि वहां के हिन्दुओं की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण हम उनके यहां आने के भी इच्छुक नहीं हैं और न वे वहां रह सकते हैं।

पूर्वी बंगाल के हिन्दू वहां से क्यों बाहर आ रहे हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वहां इक्का दुक्का ख़ून हुआ अथवा इधर उधर कोई छोटा मोटा दंगा हुआ। पाकिस्तानी राज्य के पीछे जो सिद्धान्त है, धर्मतंत्र का अथवा इस्लामी राज्य का, उसकी वजह से वहां के हिन्दू बाहर आ रहे हैं। उन्होंने खुली तौर से ज़ाहिर कर दिया है कि पाकिस्तान इस्लामी राज्य है और वहां के जीवन के सारे अंग इस्लामी सिद्धान्तों से संस्कारित होंगे। जो लोग इस ढांचे में बैठते नहीं उनको बाहर जाना पड़ रहा है। जो मुसलमान नहीं हैं उनके लिये वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां से लोगों के बाहर आने का एकमेव कारण यह नहीं है कि वहां उनको शारीरिक पीड़ा होती है

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

किन्तु अन्य अनेक बातें भी हैं। वहां उनको नौकरियों में अवसर नहीं मिलता है, सेनाओं में भर्ती नहीं किया जाता है, व्यापार और धन्धों को सुविधायें नहीं मिलती हैं और न उनके रहने के लिये मकान ही दिये जाते हैं। उनके रहते हुए भी मकान खाली करवाये जाते हैं।

उच्च कोटि के लोग, जिनके पास कुछ धन था और जो सुसंस्कृत जीवन बिताना चाहते थे, वे तो वहां से चले आये। अब वहां कौन रहे हैं ? गरीब किसान—जिनका जीवन अपनी ज़मीन से संलग्न रहता है और जो ज़मीन के लिये अनेक कठिनाइयां, अन्याय तथा अपमान सहने के लिये तैयार हो जाते हैं। फ़रवरी १९५० की कतल के बाद उन लोगों ने भी बाहर आना शुरू कर दिया इसके बाद नेहरू-लियाकत करार हुआ। हममें से कुछ लोगों को आशा थी कि इससे समस्या सुलझ जायेगी। इस करार की शर्तों में जिस उदार भाषा में अल्पसंख्यकों को जीवन संस्कृति, संपत्ति, सम्मान तथा स्वातंत्र्य की रक्षा का आश्वासन दिया गया था उसको देखते हुए आप और क्या चाह सकते थे ? हमने सोचा कि सारी बातों का निबटारा हो गया है और नेहरू-लियाकत करार द्वारा अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध कर दिया गया है। इस करार को कार्यान्वित करने के लिये एक समिति गठित हुई। अल्पसंख्यक मण्डलियां बनाई गईं। अभी अभी मेरे मित्र अचिन्त राम जी अल्पसंख्यक मण्डलियों की बात कर रहे थे। किन्तु इन मण्डलियों का हाल क्या रहा ?

लाला अचिन्त राम : मैं ने इस प्रकार की मण्डली का सुझाव नहीं रखा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : आप एक अन्य प्रकार की मण्डली का सुझाव देते हैं। मैं जानती हूं कि इन मण्डलियों का भाग्य क्या होता है। आपकी मण्डली का भी यही भाग्य होगा।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद] पर आसीन हुए]

नतीजा यही रहा कि इस करार का बारंबार भंग होता रहा। पार-पत्र प्रणाली का प्रश्न खड़ा होने पर इस करार पर अंतिम आघात हुआ। पाकिस्तान के आग्रह के कारण हमें पार-पत्र प्रणाली स्वीकार करनी पड़ी। इसका परिणाम हमने देखा है। पश्चिमी बंगाल की सरकार के कथनानुसार मई महीने में प्रव्रजन शुरू हुआ और अगस्त के अन्त तक जारी रहा और फ़िर सितंबर से अक्तूबर के मध्य तक बड़े प्रमाण में प्रव्रजन हुआ। यह सच है कि अब प्रव्रजन की मात्रा कम हो गई है किन्तु पार-पत्र प्रणाली जारी होने की वजह से वैसा हुआ है। इस प्रणालीके अन्तर्गत अनेक जटिल औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है जिससे कि वह एक मंहगी और कष्टप्रद प्रक्रिया बन गई है। किन्तु प्रव्रजन अब भी जारी है यद्यपि प्रचण्ड प्रवाह बन्द हुआ है। छोटी संख्या में तथा नियंत्रित रूप में वह जारी है। जब से विभाजन हुआ है तब से अल्पसंख्यकों का प्रवाह बहता ही रहा है। हमें पुनरुक्ति से कोई आनन्द नहीं मिलता। परन्तु घाव अभी ताज़ा है और बढ़ रहा है। अतः हम बारंबार आपका ध्यान उसी तरफ़ आकर्षित करते हैं। मैं अल्पसंख्यकों के विषय में 'कथायें' सुनाना नहीं चाहती। मेरे मित्र श्री हिरेन मुकर्जी उनको 'कथायें' कहते हैं लेकिन जो लोग उन घटनाओं में ग्रस्त थे उनके लिये वे 'कथाएं' नहीं हैं। मैं लड़कियों की मुक्ति शुल्क की कथा का उल्लेख करूंगी। पाकिस्तान से बाहर जाने वाली जवान

लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिये उनके पालकों से स्थान स्थान पर ४० या ५० रुपयों का शुल्क वसूल किया जाता है। दमन तथा शोषण का एकमेव तरीका क्या खून बहाना ही होता है ? जहां शरीर, संपत्ति तथा सम्मान सुरक्षित नहीं हैं वहां लोग ठहरन की उम्मीद कैसे की जा सकती है ?

जब हम इस विषय के बारे म बोलते हैं तो हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाता ह। क्या यह सांप्रदायिक समस्या है अथवा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है ? यदि लोग आते ही रहे तो परिणाम क्या होगा ? हमारा देश अत्यंत गरीब है; अविकसित तथा पिछड़ा हुआ है। इस देश के पुनर्निर्माण के लिये हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम हमारी आवश्यकताओं का अनुमान कैसे लगा सकेंगे ? क्या हम आर्थिक योजनाएं बना सकते हैं ? क्या हम कुछ कर सकते ह जब तक हमें मालूम न हो कि कितने लोगों की आवश्यकताएं हमें पूरी करनी हैं ? क्या हमारे भाईबन्दों की दुरवस्था की वार्त्ता सुनकर भी हमारा चित्त शान्त रह सकता है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन लोगों के विषय में हम पर कोई दायित्व है ? क्या हम कह सकते ह कि वे हमारे देश के प्रजाजन नहीं हैं और इस लिये उनके बारे में हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है ? हमने विभाजन से पहले इन लोगों को आश्वासन दिया था कि आप यहीं ठहरिये विभाजन के बाद हमारी सरकार आप का संरक्षण कर सकेगी। हमने इस मूलभूत तथ्य को मान लिया है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के बारे में, यद्यपि अधिकृत रूप से वे हमारे प्रजाजन नहीं हैं, हम पर बहुत भारी नैतिक ज़िम्मेवारी है और यही कारण है कि हम उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं। बंगाल में पुनर्वास का प्रश्न अत्यंत कठिन तथा गंभीर है। हमारी बड़ी भूल होगी यदि हम समझें कि केवल पुनर्वास की व्यवस्था करने से यह समस्या हल हो जायगी। मैं नहीं जानती कि गांधीजी जीवित होते तो क्या करते। किन्तु एक बात पक्की है कि वे चाहते थे कि अल्पसंख्यक लोग अपने अपने मुल्कों में रहें। जो आ चुके हैं उनको यदि हम वापिस नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम हम अग्रेतर प्रव्रजन को रोक सकते हैं।

हमने कलकत्ता के सम्मेलन में आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया। उसकी हंसी उड़ाई गई। क्या यह सुझाव इतना हास्यास्पद है ? मान लीजिये कि उससे पाकिस्तान पर कोई विशेष आर्थिक दबाव नहीं पड़ता है; फिर भी उस चीज़ का कोई न कोई नैतिक मूल्य अवश्य है। सारी दुनिया को मालूम हो जायगा कि परिस्थिति गंभीर है। और यदि यह उपाय पसन्द नहीं है तो आपको अन्य कोई उपाय ढूंढ़ना चाहिए। यह ज़िम्मेवारी सरकार की है कि किसी उपाय से विद्यमान असह्य अवस्था दूर कर दी जाय। यदि हमारी सरकार यह नहीं कर पाती है तो वह हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान है और अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वासघात है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहती। किन्तु मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वे हमारे सुझावों के प्रति तिरस्कार प्रगट न करें। यदि आप इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य उपाय खोजो—किन्तु कोई न कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यकों का प्रव्रजन, तथा उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार बन्द हो जाय।

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

मानवीय अधिकारों में हम विश्वास करते हैं। मानवी अधिकार आयोग पर हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। हम कोरिया तथा टयूनिस की जनता से सहानुभूति प्रगट करते हैं किन्तु क्या पूर्वी पाकिस्तान के हमारे अपने भाईबन्दों के विषय में हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते ? इसका मतलब क्या है ? मैं सरकार की प्रचलित नीति समझ नहीं कोई मतभेद है ? क्या कोई यह मानता है कि पाकिस्तान में वास्तव में लोकतंत्र प्रणाली अस्तित्व में है ? नहीं। क्या पूर्वी बंगाल की सरकार ऐसी परिस्थिति निर्माण करने में सफल रही है जहां गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक स्वस्थचित्त होकर रह सकें ? इस प्रश्न का सीधा उत्तर मिलना चाहिए। ये ३० लाख लोग पूर्वी बंगाल से क्यों निकल पड़े ? क्या केवल मौज के लिये वे सैर पर निकले हैं ?

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप): वास्तविक प्रश्न यह है कि पूर्वी बंगाल की समस्या को प्रादेशिक माना जाय या अखिल भारतीय। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आम तौर पर यह माना जाता है कि बंगाल की समस्या हल हो गई है और चिन्ता का कोई कारण नहीं है ?

पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में प्रव्रजन का प्रश्न अब बाक़ी नहीं है। किन्तु बंगाल में गत छः या सात वर्षों से प्रव्रजन लगातार जारी है। मैं पहले से सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान सरकार की नीति की ओर आकर्षित करने आया हूं। अल्पसंख्यकों को बाहर ढकेलने का धावा परन्तु स्थिर नीति पूर्वी पाकिस्तान की सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। वे वहां एकजातीय मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं। हमें इस विषय में अन्तिम निर्णय कर लेना चाहिए। एक तो इस पार या उस पार; परन्तु हमें हमारी निश्चित भूमिका मालूम होनी चाहिये। क्योंकि आख़िर उन बेचारे अल्पसंख्यकों को यह तो विदित हो जाय कि यहां उनका कोई वली नहीं है।

वस्तुस्थिति मौजूद है। क्या कोई उसको अस्वीकार करता है ? क्या उसके बारे में

इस समस्या पर गौर करते समय माननीय सदस्यों को यह भूल जाना चाहिये कि हम मद्रास के या बिहार के या युक्तप्रदेश के हैं। अन्यथा आप पश्चिम बंगाल के लोगों की भावना अनुभव नहीं कर सकेंगे। ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिन में से कुछ भाई पूर्वी बंगाल में और कुछ भाई पश्चिम बंगाल में बसते हैं। इनके स्थान में अपने को रखने पर आप उनकी दर्द का अनुभव कर सकेंगे। अन्यथा आपको इस विषय में केवल शाब्दिक सहानुभूति रहेगी। मेरे गैर-बंगाली मित्र मुझे निम्न शब्दों में प्रश्न पूछते रहते हैं: "हां पंडितजी मैत्रा साहेब, कैसा बंगाल का हाल चाल है, ठीक है न ?" ऐसा मालूम पड़ता है कि बड़े पैमाने पर कतल या लटमार होने के बाद ही उन्हें परिस्थिति का गांभीर्य महसूस होता है। सन् १९५० में जब पूर्वी पाकिस्तान में दावानल खड़ा हुआ तब कहीं वह अखिल भारतीय आकर्षण का प्रश्न बना। प्रव्रजन की धारा चल ही रही थी किन्तु उसने एकाएक प्रचण्ड प्रवाह का रूप धारण कर लिया।

हम इस समस्या की तरफ़ सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। हमारी शिकायत पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध है।

शान्ति तथा सम्मान ये बातें तो महत्वपूर्ण हैं ही। परन्तु क्या वहां के अल्पसंख्यकों

को केवल शरीरपोषण के लिये भी पर्याप्त अवसर मिल रहा है ? प्रारंभ से ही वहां के हिन्दुओं पर आर्थिक पाश कसना शुरू हुआ। हिन्दुओं को व्यापार, धन्धा, उद्योग तथा वाणिज्य करने नहीं दिया गया। जमीन-दार, शिक्षणज्ञ, राजकीय कार्यकर्त्ता, मध्यम-श्रेणी के लोग तथा बंगाल के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सारे लोग पूर्वी बंगाल से बाहर चले गये क्योंकि वहां की सरकार उन को निकालने पर तुली हुई थी। वह तो केवल गुलामों को, जिन्हें वहां 'जिम्मि' कहा जाता है, वहां रखने के लिये तैयार है। यदि मैं वहां रहना चाहूं तो मुझे मौलाना एल० के० मैत्रा कहलवाना होगा। और मुकर्जी साहब को खान एस० पी० मुकर्जी कहलवाना होगा। ऐसे सुझाव प्रगट सभाओं में मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा किये जाते हैं।

पार-पत्र प्रणाली जारी होने के बाद और भी घबराहट फैल गई। यह प्रणाली के जारी होने के पहले कुछ ही दिन इस प्रकार धमकियां दिये जाने लगीं कि यदि आप अभी बाहर नहीं गये तो बाद में आप नहीं जा सकेंगे। यदि किसी मुस्लिम किरायेदार से किराया मांगा जाय तो इस प्रकार उत्तर मिलता कि "साला, दस रोज बाद लाठी दे कर भगा देगा, किराया मांगने आया है ?" ऐसी परिस्थिति में क्या यह अपेक्षा की जा सकती है कि कोई वहां केवल शरीरपोषण भी कर सकेगा ? और आखिर आदमी केवल शरीरपोषण के लिये तो नहीं पैदा हुआ। उसे अपना सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक जीवन भी होता है।

पाकिस्तान में इन सब बातों का अभाव है। अब आप पूछेंगे कि इस पर क्या इलाज किया जाय। परन्तु स्पष्ट है कि इलाजों की चर्चा करने का यह स्थान नहीं है। यहां तो हम सरकार का ध्यान समस्या के विभिन्न पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हम अपने दिल की झलक मात्र यहां प्रगट कर सकते हैं। इस मामले में हमारी भावनाएं अत्यंत तीव्र हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान द्वारा हिन्दू अल्प-संख्यकों से न्यायोचित व्यवहार नहीं किया गया है। पाकिस्तान से यह बता दिया जाना चाहिए कि हमने उसकी चालें पहचान ली हैं।

मृदुता तथा दृढ़ता के बीच का अन्तर प्रत्येक सरकार जानती है। मैं नहीं कहता कि तुरन्त युद्ध घोषित कर दो। लेकिन मैं यह भी अनुभव करता हूं कि शायद युद्ध अनिवार्य हो जाय। मैं जानता हूं और दुनिया भी जानती है कि युद्ध से कोई समस्या सुलझती नहीं। युद्ध से जितने प्रश्न सुलझते हैं उनसे कई अधिक पैदा होते हैं। किन्तु फिर भी वर्ष की अवधि में दो विकराल युद्ध हुए तथा तीसरे की सम्भावना है। युद्ध की भाषा सहज नहीं करना चाहिए परन्तु जब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा सम्मान संकट में पड़ता है तब वह धोखा उठाना भी आवश्यक हो जाता है। (हर्षध्वनि)। हमें पाकिस्तान से स्पष्ट तथा असंदिग्ध शब्दों में कह देना चाहिए कि अब हम यह चीज़ बरदाश्त नहीं कर सकते।

जब पाकिस्तान ने काश्मीर के बारे में जिहाद की भाषा शुरु की और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बंधी हुई मुट्ठी का प्रदर्शन शुरू किया तब हमारे प्रधान मंत्री हिम्मत से आगे बढ़े और उन्होंने अपना खुला हाथ फैला कर कहा : "मैंने हाथ बढ़ाया है उसे देखो और प्रेम से पकड़ो। लेकिन यदि आपने काश्मीर पर हमला शुरू किया तो उसको भारत पर आक्रमण समझा जाएगा और फिर सर्वकश युद्ध जारी होगा।" इस छोटी सी घोषणा के बाद सेनाओं की हालचाल होते ही अ० लियाकत अली खान की मुट्ठी खुल गई।

हम काश्मीर के बारे में दृढ़ नीति अपना

[पंडित एल० के० मैत्रा]

सकते हैं तो क्या इन १ करोड़ २० लाख हिन्दू भाईयों के विषय में हमारा कोई कर्त्तव्य नहीं है जो हमारे कन्धे को कन्धा लगाकर भारत की आज़ादी के लिए लड़े हैं ?

और यदि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं तो खुली तौर पर वैसा कह दो । बता दो कि पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । यह भूमिका कम से कम तर्कशुद्ध तो होगी ।

हम दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वे किसी ज़माने में भारत के प्रजाजन थे । ट्यूनिस की जनता के लिए हमारा हृदय पिघल रहा है। श्रीलंका के भारतीयों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं । और अब पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के लिए कुछ न करना अत्यन्त असंगत होगा ।

आप सब एक जगह बैठिये और कोई इलाज निश्चित कीजिये । सरकार को अन्य पक्षों के नेताओं से परामर्श करके कोई न कोई इलाज निश्चित करना चाहिए । मैं यहां और एक प्रार्थना करूंगा । पूर्व बंगाल तथा पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के बारे में कृपया यहां कोई सवाल न पूछिये उससे केवल पाकिस्तान सरकार ही लाभ उठाती है। और कृपया इस समस्या को केवल बंगाल की समस्या न समझ कर भारतीय समस्या के रूप में उस पर गौर करिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था के बारे में डा० मुकर्जी द्वारा सरकार की जो आलोचना की गई है उसमें मैं उनसे सहमत हूं । जब हमने इस कार्य में सहयोग देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बंगाल के पुनर्वास मंत्री ने उसको झिटकार दिया । उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग गड़बड़ फैलाना चाहते हैं। हम यहां पाकिस्तान की महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं किन्तु जब यह महिलाएं प्रव्रजन कर भारत में चली आती हैं तो क्या यहां उनका सम्मान सुरक्षित रहता है ? क्या हम जानते नहीं कि यहां रात के अंधेरे में इन अभागिनी महिलाओं के शरीर का व्यापार चलता है ? अभी पाकिस्तान में रहने वाले ९५ लक्ष अल्पसंख्यकों को यहां आने पर यदि हम सम्मान से जीने के साधन उपलब्ध कर सकते तो हमने अवश्य मांग की होती कि उन्हें यहां बुला लिया जाय ।

मैं देखती हूं कि डा० मुकर्जी ने अपने भाषण में आर्थिक प्रतिबंध के बारे में अवाक्षर भी नहीं निकाला । क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाने से यह समस्या हल हो जाएगी ? पश्चिमी बंगाल में डा० मुकर्जी और उनके अन्य वामपक्षीय मित्रों ने आर्थिक प्रतिबंध की मांग बारंबार दुहराई है ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : प्रभावी कार्यवाही की ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं कहना चाहूंगी कि गत कुछ वर्षों से जो खिंचाव जारी है उसके फलस्वरूप वास्तव में कुछ हद तक आर्थिक प्रतिबंध लग ही चुका है । सन् १९४८ में भारत से पाकिस्तान को ८३ करोड़ का माल निर्यात हुआ ; सन् १९४९ में ३८ करोड़ तथा सन् १९५० में ३० करोड़ का । सन् १९४८ में पाकिस्तान से भारत में ११७ करोड़ का माल आयात हुआ ; सन् १९४९ में ४० करोड़ तथा सन् १९५० में ३२ करोड़ का । पश्चिमी बंगाल के हम बहुत से लोग कहा करते थे कि यदि आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये गए तो पाकिस्तान का ह्रास हो जाएगा । लेकिन वास्तविक आर्थिक प्रतिबन्ध के होते हुए भी परिस्थिति ज्यों कि त्यों है । यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्थिक प्रतिबन्ध के नारे से किस को लाभ होता है और किसको हानि । आर्थिक प्रतिबन्ध के द्वारा साम्राज्यवादियों

को लाभ होता है और पाकिस्तान तथा भारत की गरीब जनता की हानि होती है। आर्थिक प्रतिबन्ध के विषय में हम चीन के उदाहरण से कुछ सीख सकते हैं। चीन पर संयुक्त राज्य अमरीका सरीखे राष्ट्र ने, जो हमसे कई गुना सामर्थ्यसंपन्न है, प्रतिबन्ध लगा दिये थे। फिर भी चीन का क्या नुक़सान हुआ? उन प्रतिबन्धों की आज दुनिया में हंसी हो रही है।

डा० मुकर्जी हमें कहते हैं कि अन्य कोई इलाज बताओ। हां, हमारे पास इलाज है जो अनन्य है, अत्यंत दुष्कर है और जिसको कार्यान्वित करने के लिए अत्यंत सहनशीलता एवं त्याग आवश्यक है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की सुरक्षितता का एकमेव साधन है पाकिस्तानी जनता के लोकतंत्रवादी आंदोलन की दृढ़ता। बंगाली भाषा के लिए जिन लोगों ने ढ़ाका की सड़कों में अपना खून बहाया तथा जिन नवयुवकों ने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के सामने 'हिन्दू मुस्लिम भाई भाई' तथा 'हिन्दू मुस्लिम ज़िंदाबाद' के नारे लगाये उनकी ताकत बढ़ने से ही अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिल जाएगा। अन्य किसी तरीके से यह उद्देश्य सफल नहीं होगा। मेरे मित्र लक्ष्मीकान्त मैत्रा ने काश्मीर की बात कही। किन्तु हमें काश्मीरी जनता के सामर्थ्यशाली आन्दोलन को नहीं भूलना चाहिए। जब तक हमें जनान्दोलन का समर्थन प्राप्त नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यहां हमारे 'जिहाद' के नारे लगाने से उस आन्दोलन को क्षति पहुंचती है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : साम्यवादी लोग इतिहास की बातें करते हैं। लेकिन जब जनाब सुहावर्दी तथा उनके मुस्लिम लीगी साथियों ने 'सीधी कार्रवाई' दिन के उपलक्ष्य में कलकत्ता तथा बंगाल में खून खराबी की तब कलकत्ता की सड़कों में साम्यवादियों ने एतिहासिक कार्य किया है। केवल साम्यवादियों ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्राप्ति के प्रयासों में सहायता दी। (अन्तर्बाधा)। अब वे लोकतंत्रवादी आन्दोलन की बातें कर रहे हैं। अब वे कहते हैं कि पाकिस्तान आंग्ल-अमरीकी षड़यंत्रों का परिणाम है। वास्तव में उनको आंग्ल-अमरीकियों के साथ साथ साम्यवादियों का भी नाम जोड़ना चाहिए। (अन्तर्बाधा)

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं . . .

सभापति महोदय : वे मानने को तैयार नहीं।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, मैं किसी रुकावट के बिना अपना भाषण जारी रखना चाहता हूं। मेरे सौभाग्य से मुझे. . . .

सभापति महोदय : उनका भाषण समाप्त होने के पश्चात् यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछें तो उत्तर देंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी : मेरे सौभाग्य से मुझे पूर्वी बंगाल में बारिसाल सम्मेलन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला था उस सम्मेलन में सब पक्षों ने मांग की कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। उस समय मि० जिन्ना के सरदार पाकिस्तान के लिए ऊधम मचा रहे थे। बरिसाल सम्मेलन में पाकिस्तान निर्मिति के खिलाफ संगठित आवाज़ उठाई गई किन्तु केवल साम्यवादियों ने उस संगठन में फूट डालने की कोशिश की। (अन्तर्बाधा) और अब वे कहते हैं कि यह केवल आंग्ल-अमरीकियों का षड़यंत्र है।

लक्षावधि हिन्दुओं पर इतने अत्याचार हुए हैं फिर भी क्या इन बर्बर लोगों के सामने घुटने टेक कर सदिच्छा मण्डलियां भेजने का सुझाव गंभीरता से रखा जाता है? पाकिस्तान हमारे विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगा चुका है। क्या उन्होंने भारतीय फिल्मों पर रोक नहीं

[श्री एन० सी० चटर्जी]

लगाई है । ढ़ाना ज़िले से पाकिस्तान में जो २ करोड़ रुपयों के पान जाते थे उन पर भी रोक लगा दी गई है । किन्तु हमारी सरकार में इन तथ्यों को स्वीकार कर समुचित प्रतिकार करने का धैर्य नहीं है । हमारी सरकार तो जब कभी पाकिस्तान पर आर्थिक संकट छा जाता है तब उसकी सहायता के लिए दौड़ती है और उसकी बुनियाद दृढ़ बना देती है । आर्थिक प्रतिबंध की भाषा बोलने में हानि ही क्या है ? पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं से अधिगृहीत किये गए हज़ारों मकानों में से एक भी वापिस नहीं दिया गया । पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यकों के पास जितनीं बन्दूकें थीं वे सब ज़ब्त कर लीं और उन में से एक भी वापिस नहीं दी । ये सारी बन्दूकें अन्सारों को तथा अन्य गुंडों को हिन्दुओं तथा अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए दे दी गई हैं ।

जब डा० एस० पी० मुकर्जी कहते हैं कि पाकिस्तान हिन्दुओं को निचोड़ना चाहता है तो वह बात पुनर्वास मंत्री जी की समझ में नहीं आती । वे पूछते हैं कि फिर पार-पत्र प्रणाली द्वारा प्रव्रजन के रास्ते में रुकावटें क्यों डाली जातीं । इसका उत्तर सरल है । वे केवल कतल अथवा निष्कासन नहीं चाहते हैं अपितु धर्मान्तर भी करना चाहते हैं । वे उच्च श्रेणी के हिन्दुओं को बाहर निकालना चाहते हैं और निचली श्रेणी के लोगों को निगलना चाहते हैं । पाकिस्तान में यह राक्षसी नीति निरंतर जारी है क्योंकि मूस्लिम लीग के नेताओं को, अन्सारों को तथा पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों को भली भांति मालूम है कि उन्होंने वहां कुछ भी किया तो भारत की सरकार उंगली तक उठाने को तैयार नहीं है । यह तथ्य वे बर्बर लोग जानते हैं, गुंडे जानते हैं अन्सार जानते हैं तथा पाकिस्तानी पुलिस भी जानती है । इन लोगों के दिलों में जो विमुक्ति की अथवा निरंकुशता की भावना दृढ़ हो गई है उसी के टुकड़े टुकड़ कर देना आवश्यक है ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यह सम्स्या अत्यंत गंभीर है और इस को हल करने की ज़िम्मेवारी सरकार पर है । इन अल्प शब्दों के साथ मैं डा० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान् जानकारी देने के हेतु मैं कहना चाहता था कि यह आरोप सच नहीं है कि साम्यवादियों ने मुस्लिम लीगियों की 'सीधी कार्रवाई' का समर्थन किया ।

डा० एन० बी० खरे : महाभारत के एक श्लोक में कहा है :

एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी ।
क्षमावान् निरमर्षश्च नैव स्त्री न पुनः पुमान्॥

इसका अर्थ है कि केवल वही पुरुष है—मर्द पुरुष है—जो अपने शत्रुओं को उनके द्वारा बरसाये गये अपमानों तथा बेइज्ज़तियों के लिये क्षमा नहीं करता, जो बदला लेने की इच्छा नहीं त्यागता और जो क्रोधाविष्ट हो जाता है । जिस आदमी में ये गुण नहीं हैं वह स्त्री भी नहीं और पुरुष भी नहीं । यह वर्णन महाभारत में विदुला नामक स्त्री द्वारा किया गया है । ऐसे आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है ? मैं ऐसे आदमी को निःसत्व व्यक्ति कहूंगा । और यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में है, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि "हां । ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में है और उस आदमी को इस सदन का नेता बनने का अनुचित सम्मान प्राप्त हुआ है ।" श्रीमान्, यह हंसने की बात नहीं है । यह वस्तुस्थिति अत्यन्त गंभीर है । (अन्तर्बाधा) ।

पाकिस्तान की सरकार अपनी भूमि में एक जातीय आबादी रखना चाहती है और इस

उद्देश्य की प्राप्ति के लिये निष्कासन, धर्मान्तर तथा कतल का त्रिविध मार्ग उसने स्वीकार किया है।

मैं भूख से मरने को तैयार हूं, मैं प्यास से मरने को तैयार हूं, मैं जाड़े से या उष्णता से मरने के लिये तैयार हूं परन्तु अपमानित होकर मरना मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा।

आप क्यों हंसते हो ? क्या मेरा मन उदार नहीं है इसलिये ? मेरा मन संकुचित है। लात मारने वाले के जूते चाटने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। आप वैसा कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। आप कहेंगे कि हृदय को विशाल बनाओ ; परन्तु मैं संकुचित रहना ही पसन्द करता हूं।

श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त, जो स्वयं पाकिस्तान में रहने वाले बहादुर कांग्रेसवादी हैं, उन्होंने पाकिस्तान की साज़िशों पर प्रकाश डाला है। पाकिस्तान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहता है और यह परिस्थिति उसने उत्पन्न कर दी है कि जहां हिन्दू न रह सकें। यदि भारत की सरकार को प्रतिष्ठा की अथवा पुरुषार्थ की कोई भावना हो तो उसको भी यहां के अल्पसंख्यकों के लिये वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहिये जैसी पाकिस्तान ने की है। मैं इसमें कोई भय अनुभव नहीं करता। मुझे इससे अधिक कुछ कहना नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आज की दीर्घ चर्चा के बाद अभी अभी जो अन्तिम भाषण दिया गया उसी में अब तक उठाये गये सब प्रश्नों का उत्तर है क्योंकि इस उपाय का अवलंबन करने से हमारे देश की सारी सभ्यता का तथा सारे सद्गुणों का नाश हो जायगा। आज देश में इसी प्रकार की बातों का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है जिससे कि हमारे देश की हानि तो होती ही है किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के जिन लाखों दुखियों से हम यहा सहानुभूति प्रगट करते हैं उनका भी बहुत नुक़सान होता है। मैं संयम के साथ बोलना चाहता हूं किन्तु जब सदन में ऐसी असत्य बातें की जाती हैं, जब सदन के एक माननीय सदस्य यह कहने का साहस करते हैं --हां साहस करते हैं--कि अन्यत्र हो रही कतिपय घटनायें उन्हें पसन्द न होने के कारण कुछ भारतीय नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार या अमानुष व्यवहार किया जाय। मैं कहता हूं कि यह एक भयंकर बात है जिस पर सदन को आपत्ति उठानी चाहिये। इस चर्चा के अन्तिम वाक्य में यही बात कही गई है और इस लिये मैं ने उसका सब से पहले उल्लेख किया।

मेरा इरादा था और अब भी मेरा इरादा है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसके साथ असंख्य लोगों के भाग्य निगड़ित हैं, अधिकतम वस्तुनिष्ठा से तथा ठंडे दिल से विचार करूं। मैं इस प्रस्ताव पर प्रथम भाषण करने वाले मेरे मित्र के समान वक्तृत्वपूर्ण शब्दों में नहीं बोल सकता और न ही मेरे दूसरे मित्र पंडित लक्ष्मीकान्त मैत्र के समान धुंआधार भाषण दे सकता। मेरी राय में, मामला इतना गंभीर है कि केवल वक्तृत्व के से काम नहीं बनेगा। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, भारत तथा पाकिस्तान के लाखों लोगों का इस मामले से सम्बन्ध है। यह मामला अत्यन्त गंभीर है और यदि विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य यह मानते ह--जैसा कि उन्हों ने कई बार कहा है--कि सरकार इस विषय में आत्मसंतुष्ट है और समझती है कि जो कुछ किया जा सकता था वह कर दिया गया है तथा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि यह उनकी बड़ी भूल है और यह मेरा दोष है कि इस विषय के बारे में सरकार की गहरी दिलचस्पी--हमारे मार्ग चाहे सही हों या ग़लत-- प्रगट नहीं हो पाई। हो सकता है कि हमारे तरीके उन मित्रों के तरीकों से भिन्न हैं जिन्हें वक्तृत्व की देन प्राप्त है। यह भी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो सकता है कि हम गंभीर मामलों को गंभीरता-पूर्वक निबटाते हैं न कि नाटकीय ढंग से। लेकिन तथ्य यह है जिसे हम सब मान लें तथा जिसके बारे में अधिक कुछ न कहा जाय, कि यह मामला अधिकतम महत्वपूर्ण है और इसका सम्बन्ध केवल पूर्वी अथवा पश्चिमी बंगाल से ही नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष से है तथा भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में चिन्ताग्रस्त है। हमारी चिन्ता का कारण केवल मानवीय सहानुभूति नहीं है—यद्यपि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है—परन्तु इस मामले से उत्पन्न होने वाले परिणाम अखिल भारत को प्रभावित करें। भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अतः मामले के महत्व की चर्चा हम छोड़ दें। यह मामला अधिकतम महत्व का है और म सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं ने इस मामले पर कुछ दिन ही क्यों, महीनों पक चर्चा करने का भी विरोध नहीं किया होता यदि चर्चा से मसला सुलझ जाता। हम इस पर तब तक चर्चा करें जब तक चर्चा से समस्या पर कुछ प्रकाश पड़ता है। लेकिन कुछ मौक़े ऐसे होते हैं कि चर्चा के विषय अत्यन्त नाज़ुक एवं कठिन होने के कारण उथली चर्चा तथा सरकारी नीति की आलोचना का परिणाम केवल यही होता है कि समस्या के असली स्वरूप की ओर दुर्लक्ष होता है और अन्य बातें चर्चा में घुस जाती हैं। कभी कभी तो इन दीर्घ चर्चाओं का तथा दीर्घ भाषणों का परिणाम ठीक विपरीत होता है और उनके कारण समस्या का हल कुछ दुष्कर सा हो जाता है।

मेरे माननीय मित्र डा० मुकर्जी ने बताया कि मैं न इसके पहले कतिपय अवसरों पर जो भाषण दिये थे उनका पाकिस्तान द्वारा फ़ायदा उठाया गया; पाकिस्तानी समाचार-पत्र तथा पाकिस्तानी सरकार के लिये उनमें अनेक उपयुक्त बातें थीं। मुझे स्पष्ट या नहीं कि मैं ने क्या कहा था। मुमकिन है कि वे ठीक कहते हैं। जब कभी इस सदन में मुझे प्रश्न पूछा जाता है तब मैं वास्तविक बात बता देने की कोशिश करता हूं जो मुझे प्रतीत तथा विदित हो। मैंने कभी यह विचार नहीं किया कि सत्य मझे अनुकूल है या पाकिस्तान को। मुमकिन है कि किसी समय विरुद्ध पक्ष के किसी माननीय सदस्य को सत्य रोचक नहीं प्रतीत हुआ। लेकिन क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करूं कि पाकिस्तान के समाचार पत्रों में अधिकतम उद्धरण उनके या उनके साथियों के भाषणों से दिये जाते हैं? विरुद्ध पक्ष के कुछ सदस्य जिन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उन संस्थाओं के समर्थकों का उल्लेख पाकिस्तानी समाचारपत्रों में तथा उनके शीर्षकों में बारंबार होता है। ये सदस्य विभिन्न मांगें कर रहे हैं, आर्थिक प्रतिबन्ध अथवा अन्य उपायों के योजन का सुझाव दे रहे हैं। हम इन उपायों पर अवश्य विचार करेंगे। लेकिन इन लोगों का दृष्टिकोण पूर्वग्रहदूषित है। इस पूर्वग्रह का उत्कट स्वरूप अन्तिम वक्ता के भाषण में प्रगट हुआ। इन लोगों को ख़ूब प्रसिद्धि मिलती है क्योंकि जिस पाप के विरुद्ध वे लड़ना चाहते हैं उसी के हाथ में वे खेलते हैं। वे तो पाकिस्तानी संप्रदायवादियों के किश्ती में ही सैर करते हैं। वे परस्परों का तिरस्कार भी करें अथवा आपस में लड़ भी लें फिर भी वे एक से पर के पंछी हैं और एक दूसरे को ख़ूब अच्छी तरह समझ लेते हैं।

भूतकाल में जब हम भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़ र थे—मैं किसी व्यक्ति का निर्देश नहीं कर रहा हूं किन्तु केवल दलों की बात कह रहा हूं—हम परस्पर की आलोचना करते हुए भी मिलकर काम कर सकते थे। आज हमें सोचना है कि क्या इस प्रश्न पर भावनावेश में आकर विचार करना तथा शोकपूर्ण कथायें

सुनाना उचित है। ये कथायें सुनने से तथा सुनाने से दुःख होता है। क्या हमको ऐसी कथायें सुना कर तथा उनसे उत्तेजित हो कर बड़े बड़े राजनैतिक निर्णय करना चाहिये ? क्या यह किसी प्रौढ़ व्यक्ति के प्रगल्भ संसद् के तथा सुसंस्कृत राष्ट्र के आचरण का तरीका है? मैं सदन से पूछता हूं कि आज हमारे सामने जो प्रश्न है, जिसका प्रभाव भारत के तथा विश्व के भवितव्य पर पड़ने वाला है और जब हम उस पर कुछ हद तक ऐतिहासिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं, तब क्या हमें सदन को ऐसी कथायें सुनाकर उत्तेजित करना चाहिये जो सत्य अथवा असत्य भी हो सकती हैं ? यह तो स्पष्ट है कि उन में से अनेक कथायें सत्य हैं। मैं उनको अस्वीकार नहीं करता। परन्तु मैं किसी भी व्यक्ति द्वारा बताई गई प्रत्येक कथा में विश्वास रखने को तैयार नहीं हूं। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में अमानुष अत्याचार हुए ह, दमन हुआ है--मैं इसको अस्वीकार नहीं करता--परन्तु फिर भी उन कथाओं का शोकरसपूर्ण वर्णन नाटकीय ढंग से करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां कौन लोग हैं ? यह भारतीय गणतंत्र की लोकसभा है। यहां महत्वपूर्ण मसलों पर ग़ौर किया जाता है।

दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय उद्गम के लोगों के बारे में जो हो रहा है उसका उल्लेख किया गया है। हम पर दोष लगाया गया है कि उन लोगों में तो हमें दिलचस्पी है परन्तु पूर्वी बंगाल के हमारे मित्रों तथा रिश्तेदारों में हमें दिलचस्पी नहीं है। हमें श्रीलंका का भी स्मरण दिया गया है। मैं कहता हूं कि दक्षिण अफ़्रीका तथा श्रीलंका के भारतीय उद्गम के नागरिकों में हमें गहरी दिलचस्पी है। क्यों ? यह साफ़ है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। वे श्रीलंका के तथा दक्षिण अफ़्रीका के नागरिक हैं। उनके प्रति हमारी जो दिलचस्पी है वह अन्य कारणों से है; मानवता, संस्कृति, स्वाभिमान, आदि मूल्यों के कारण हमें उनके प्रति दिलचस्पी है। जब हम उनमें इतनी दिलचस्पी लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना किसी विस्तृत तर्क के देख सकता है कि हमें पूर्वी बंगाल के लोगों में सब से अधिक दिलचस्पी होनी चाहिये। यह स्पष्ट है क्योंकि वे हमारे ही अंग हैं। यद्यपि यह तथ्य है कि आज वे पाकिस्तान के नागरिक हैं फिर भी इससे सैंकड़ों और हज़ारों वर्षों का इतिहास रद्द या नष्ट नहीं हो जाता। यह स्पष्ट है। अतः सहानुभूति, दिलचस्पी या अन्य किसी चीज़ के अभाव का सवाल नहीं है। हम सभी उन मुसीबतों को महसूस करते हैं जो उन्होंने सही हैं अथवा जो उन्हें भविष्य में सहनी पड़ सकती हैं। उनके साथ हम सभी की अत्यधिक सहानुभूति है। यह वस्तुस्थिति है।

फिर हमें क्या करना चाहिये ? गत दो या तीन वर्षों से कोरिया में युद्ध जारी है। गत वर्ष से या कुछ अधिक समय से वहां युद्ध-विराम वार्ता चालू है। कोरिया में न्याय अथवा अन्याय किसी पक्ष के तरफ़ क्यों न हो, परन्तु तथ्य यह है कि इन सारी मुक्ति सेनाओं ने कोरिया को नष्ट कर दिया और उस देश में राख के टीले खड़े कर दिये। यदि कुछ माननीय सदस्यों की सलाह के अनुसार नीति निर्धारित की जाय और सरकार द्वारा, फिर वह किसी पक्ष की क्यों न हो--हम लोग तो अनित्य हैं--उस नीति पर उत्तेजित हो कर, होश खोकर तथा गैरज़िम्मेवार वृत्ति से अमल किया जाये तो भारत पर और अर्थात् पाकिस्तान पर बीतने वाली मुसीबतों की कल्पना से ही मैं कांप उठता हूं। यह प्रश्न इतना गंभीर है कि उस पर उथली चर्चा नहीं होनी चाहिये; केवल पक्ष के फ़ायदे के लिये इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। सामान्यतः जब किसी राष्ट्र के सामने ऐसे गंभीर मामले उपस्थित हो जाते हैं तब उन पर यथासंभव पक्षहित विरहित दृष्टि से विचार किया जाता है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैं यह कहना नहीं चाहता कि आलोचना और निन्दा नहीं करनी चाहिये। वह तो होनी ही चाहिये। गंभीर मामले पर परिपूर्ण विचार होना चाहिये और किसी चीज़ को पर्दे में छिपा कर नहीं रखना चाहिये। फिर भी कोशिश यह हो कि गंभीर संकट अथवा आपात का सामना अधिकतम एकता से किया जाय।

इस मामले का विश्लेषण दो भागों में किया जा सकता है। सहायता तथा पुनर्वास से सम्बद्ध पहला भाग और अधिक महत्व का दूसरा भाग पूर्वी बंगाल की स्थितियों तथा उनके परिणामों का। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं उसकी विस्तृत चर्चा करना नहीं चाहता। इस विषय में मैं सदन के सब पक्षों के माननीय सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिये तैयार हूं। अथवा यह कहना यथार्थ होगा कि मेरे साथी श्री अजित प्रसाद जैन पूरी तौर से तैयार हैं। लेकिन इस विषय में मैं एक बात कहूंगा। लगभग गत तीन या ढाई वर्षों में इस मामले को पुनर्वास की योजनाओं में अन्यों की अपेक्षा अधिक महत्व का स्थान प्राप्त हुआ। मैं 'अन्यों की अपेक्षा' कहता हूं क्योंकि इसके पहले पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। किन्तु गत दो या ढाई वर्षों में पुनर्वास मंत्रालय ने पश्चिमी पाकिस्तान की अपेक्षा पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया। इसका कारण यही है कि यह प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होते गया। यह बात भिन्न है कि हमें अथवा बंगाल की सरकार को हमारे प्रयत्नों में यश मिला या नहीं। माननीय सदस्यों ने हमारे प्रयत्नों की आलोचना की है। हो सकता है कि कुछ हद तक उनकी आलोचनायें न्याय्य हों—मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की समस्या के बारे में सरकार सदैव सतर्क थी और हमसे जो हो सकता था वह करने की भरसक कोशिश हमने की है।

इस परिस्थिति की जिन अंतस्थ मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा है उन में से एक यह है कि, दुर्भाग्यवश, इस समस्या के हल में कुछ राजनैतिक अंश घुस गया है। कुछ लोगों ने जिनकी दिलचस्पी इस समस्या में अन्य लोगों से कम नहीं है, इसको राजनैतिक समस्या का स्वरूप देने की कोशिश की है। मुझे स्मरण है कि जब सियालदा स्टेशन पर इनमें से कुछ अभागे लोग आ पहुंचे तब एक विस्मयकारक दृश्य देखा गया। माघ मेले में अपनी अपनी पताका लेकर दौड़ने वाले पंडों की मुझे याद आई। त्रिवेणी के माघ मेले में प्रत्येक पंडे के पास पताका होती है और वे ग्राहकों के लिये आपस में लड़ते हैं। सब ने मिल कर उन की सेवा करने के बदले वहां शरणार्थियों का समर्थन प्राप्त करने के लिये राजकीय संघर्ष शुरु हुआ—"हम इसे अपने वश में कर लेंगे क्योंकि उससे हमें राजकीय लाभ होगा"। मुझे संतोष है कि अब वह क़िस्सा ख़तम हो गया है—उसको अन्य तरीके से निबटाया गया। इसी प्रकार जब इन विस्थापित व्यक्तियों में से बहुतों को निकट अथवा दूर के प्रान्तों में भेजने की कोशिश की गई तब, मेरी राय में, शरणार्थियों के अलावा अन्य लोगों ने राजकीय उद्देश्य से उसमें अधिक रुकावटें डालीं। मैं निवेदन करता हूं कि इससे शरणार्थियों की सेवा नहीं होगी। यदि किसी पक्ष अथवा व्यक्ति का सरकार पर क्रोध होता है तो वह प्रगट करने का अथवा हमारी निन्दा करने का उसे पूरा स्वातंत्र्य है। किन्तु हम पर ग़ुस्सा उतारने के अलावा ऐसी कोई कार्यवाही करना जिससे हम जिनकी सेवा करना चाहते हैं उन्हीं को हानि पहुंचे—यह रवैय्या कुछ अन्याययुक्त है।

यह समस्या बहुत बढ़ गई है और इसको समुचित ढंग से सुलझाना आवश्यक है। अतः हमारा—मेरे साथी माननीय पुनर्वास मंत्री का —इरादा है कि पहले तुरन्त एक तथ्य-शोधक समिति गठित की जाये जिस में पुनर्वास मंत्रालय, पश्चिमी बंगाल की सरकार तथा भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता, के अधिकारी शामिल हों तथा जो सहायता शिविरों तथा पुनर्वास बस्तियों की स्थितियों का निर्धारण तथा परिमाप करे। यह समिति विशेषतः पश्चिम बंगाल में बसे हुए विस्थापित व्यक्तियों को उपलब्ध निवासस्थान, नौकरी-धन्धा तथा व्यावसायिक एवं शिल्पिक प्रशिक्षण के विषय में तथा सरकार द्वारा अवलम्बित अन्य पुनर्वास उपायों के परिणामों की जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन एक अन्य समिति को पेश करेगी जिसका निर्देश मैं आगे करने वाला हूं। उससे वर्तमान तथा भावी स्थिति का पूरा पता लग जायेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्री तथा पुनर्वास मंत्री और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की एक कैबिनेट समिति नियुक्त करने का भी हमारा इरादा है। इस समिति को उपर्युक्त तथ्य-शोधक समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पर वह पश्चिम बंगाल में पूरे हुए पुनर्वास के कार्य की माप करेगी; विभिन्न पुनर्वास योजनाओं की, जो पश्चिमी बंगाल में जारी है, जांच करेगी; उनके यशापयश की माप करेगी; अपयश के कारणों की खोज करेगी और भावी नीति में सुधार के तथा वित्तीय व्यवस्था के सुझाव पेश करेगी।

इस मामले में हम व्यवस्थित रीति से काम करना चाहते हैं—पहले जांच कर के उसी समय अत्यन्त उच्च कोटि की समिति द्वारा—इस समस्या को यथाशक्य उत्तम रूप से सुलझाना चाहते हैं। यह करते समय हम बहुत प्रसन्नता से उन लोगों से साथ परामर्श करेंगे जिन्हें इस समस्या में विशेष दिलचस्पी है अथवा जिन्हें इस विषय में विशेष जानकारी है। अतः इस समस्या के पुनर्वास विषयक भाग के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि इस कार्य में पूरी शक्ति लगाना हमारा परम कर्तव्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल कल्पना से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं और तुरन्त शत प्रतिशत यश प्राप्त कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता। और इस कार्य में यद्यपि हम आज से अधिक तत्परता से जुट जाते हैं फिर भी अनिवार्य रूप से ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता।

उन कार्यों में जिन की जांच हो रही है तथा होने वाली है, शरणार्थियों को अन्य राज्यों में बसाने के कार्य का भी समावेश है। इन निकट तथा दूर के राज्यों में शरणार्थियों को छोटी संख्या में नहीं अपितु बड़े गुटों में बसाने का विचार है जिस से कि १० या १५ हज़ार या अधिक की संख्या में वे एक साथ रह सकेंगे; अपना सामूहिक जीवन बसर कर सकेंगे तथा अपने आपको अलगाये हुए नहीं पायेंगे। पुनर्वास के बारे में मैं इस से अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

परन्तु यह स्पष्ट है कि प्रमुख समस्या कुछ भिन्न ही है जिस से शरणार्थियों की तथा पुनर्वास की समस्यायें पैदा होती हैं। मैं सदन के सामने इस परिस्थिति के बारे में मेरा अपना ख्याल अधिक से अधिक स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं नहीं कहता कि वह पूर्णतया निर्दोष है। किन्तु मैं यह अवश्य महसूस करता हूं कि किसी वस्तु की ओर केवल एक ही दृष्टि-कोण से देखना उचित नहीं है।

मेरी राय में यह सारी समस्या कुछ हद तक विभाजन तथा तत्कालीन विस्फोट से पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि प्रायः किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि इस रूप में विस्फोट होगा। सब प्रकार की प्रवृत्तियों को मुक्त द्वार मिल गया, सारे विकारों को उत्तेजित

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किया गया और सब प्रकार के गंभीर घाव हुए जो भरने के लिये समय लगता है। अनेक स्थानों में घाव भरने की क्रिया जारी है किन्तु पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में इस क्रिया को अवसर नहीं मिला है।

किन्तु मैं चाहूंगा कि सदन एक बात का स्मरण रखे। जब हम पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान का उल्लेख करते हैं तब हम किसकी बात कहते हैं? क्या हमारी आंखों के सामने वहां की जनता होती है अथवा वहां के कुछ गुट वा कुछ सरकारें होती हैं? हम किसकी बात कहते हैं? मेरे माननीय मित्र डा० मुकर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वे वहां की जनता का उल्लेख नहीं करते। अनुमानतः उन्हों ने वहां के सरकारी अधिकारियों का अथवा कुछ गुटों का निर्देश किया था। हां, यह सुन कर मुझे संतोष हुआ।

उन्हों ने बताया कि वे इस समस्या को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजकीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हां, उनके इस वक्तव्य का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं कहता हूं कि हमारा विचार पहले ही इस बात के बारे में साफ़ होना चाहिये कि इस प्रश्न का विचार सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हो नहीं सकता तथा करना नहीं चाहिये। हम इसे राजनैतिक सीमाओं में ही रखें।

यदि यह बात स्वीकार की गई तो फिर क्या मैं पूछ सकता हूं कि आबादियों की अदला-बदली के सुझाव क्या राजकीय दृष्टिकोण के द्योतक हैं अथवा सांप्रदायिक दृष्टिकोण के?

डा० एस० पी० मुकर्जी: अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार सरकारी स्तर पर वे राजकीय दृष्टिकोण के ही द्योतक हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या किसी देश के किसी धार्मिक गुट को चुन कर उसको अन्य देश में खदेड़ने के विचार को राजकीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है? माननीय सदस्य के कथनानुसार वह राजकीय अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। मुझे तो ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून मालूम नहीं जिस में इस बात की अनुमति दी गई है। मैं अधिकारवाणी से यह कहता हूं। वे तुर्कस्तान अथवा यूनान के कुछ घटनाओं की ओर अंगुलिनिर्देश करेंगे। किन्तु उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं, वह एक अत्यन्त भिन्न बात है।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): तुर्कस्तान में यह हुआ था।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ने तुर्कस्तान का नाम तो लिया ही था। यदि माननीय सदस्य मेरा भाषण सुनते तो उन्हों ने बाधा डालने के कष्ट नहीं उठाये होते।

मुझे यह कहना है कि यदि माननीय मित्र इस समस्या को राजकीय स्तर पर सुलझाने की बात कहते हैं और बाद में उसके साथ आबादियों की अदला-बदली के अपने सुझाव का समन्वय करना चाहते हैं.....

डा० एस० पी० मुखर्जी: मैं ने स्वयं ऐसी अदला-बदली की कठिनाइयों का दिग्दर्शन किया था और कहा था कि इससे समस्या का हल नहीं हो सकेगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे संतोष है। अब मैं इस बात को छोड़ दूंगा। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ। आशा है कि आगे कोई इसे न उठायेगा।

सभापति महोदय: इसी विषय में एक संशोधन प्रस्तुत हुआ है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे उम्मीद है कि वे उसे वापिस ले लेंगे।

श्री वी० जी० देशपांडे: नहीं। मैं इस पर ज़ोर दूंगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू: हां, इसके लिये तो.....

डा० एस० पी० मुखर्जी : दोनों पंजाबों के बारे में उन्हों ने अदला-बदली को कैसा स्कवीार किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं ने उस को स्वीकार किया ? बिल्कुल नहीं । मैं ने उसको स्वीकार नहीं किया ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : आप उसको मान गये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, बहुत बड़े पैमाने पर मुझे उसको मानना पड़ा । किन्तु मैं ने उसको स्वीकार नहीं किया । और वह एक दुःखभरी कहानी थी । हमें यह कोशिश नहीं करनी चाहिये अथवा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये जिससे कि उसकी पुनरावृत्ति हो ।

अड़चन तो यह है कि इस देश की आज की सरकार इस समस्या को राजनैतिक स्तर पर नहीं रख सकती क्योंकि इसमें सांप्रदायिक विचार घुस जाते हैं । बड़े दंडे की तथा युद्ध की बातों का यही परिणाम होता है । क्योंकि राजकीय उपायों के प्रभाव तथा उपयुक्तता पर इसका बुरा असर पड़ता है । यह अड़चन हमारे सामने खड़ी हो जाती है ।

इस चर्चा के दौरान में बारबार कहा गया है कि पाकिस्तान ने अप्रैल, १९५० के समझौते को तोड़ा है । पाकिस्तान ने कई प्रकारों से इस समझौते को तोड़ा है ; कभी शब्दों का और कभी भावना का भंग किया है । यह सही है । क्या मैं विरुद्ध पक्ष के माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाऊं कि—आज ही नहीं किन्तु १९५० से—वे ऐसी बातें तथा कार्य करते आये हैं जिन से समझौता निरंतर तोड़ा जाता है और हम बड़ी पेचीदी परिस्थिति में पड़ जाते हैं ? क्योंकि हम पर बारंबार आरोप लगाया जाता है कि : "आप ने हमें आश्वासन तथा वचन दिया था कि ये बातें नहीं होंगी ; किन्तु आपके देश में वे हो रही हैं ; अमुक अमुक व्यक्ति, समाचार पत्र अथवा गुट ये बातें करता है ।" हमें यह आरोप स्वीकार करना पड़ता है । हम केवल इतना ही उत्तर दे सकते हैं कि : "हमें खेद है । हमारा देश स्वतंत्र है, हमें अपना संविधान है । हमारे देश में अनेक सज्जन हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते । तब हम क्या करें ?"

श्री वी० जी० देशपांडे : जब मिस्टर लियाक़त अली इस समझौते के लिये यहां आये तब देश 'स्वतंत्र' नहीं था । जब यह समझौता हुआ तब वीर सावरकर गिरफ़्तार किये गये और हम लोगों को दिल्ली से बाहर निकाला गया ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं किसी का अधिकार अमान्य नहीं कर रहा हूं । मैं केवल इतना ही कहता हूं कि देश में ऐसे संगठन हैं जिनका ज़ाहिर उद्देश्य है विभाजन को समाप्त कर अखंड हिन्दुस्तान क़ायम करना । अब यह तो स्पष्ट है कि इससे अप्रैल, १९५० के समझौते का भंग होता है । क्योंकि उसके अंदर हमने यह आश्वासन दिया था कि सरकार के नाते हम इन बातों की अनुमति नहीं देंगे । वस्तुतः हमने तो इस प्रकार के आन्दोलन को कुचलने का आश्वासन दिया था । फिर भी ये बातें बारंबार की गई हैं । सदन अवश्य महसूस करेगा कि हमने ऐसा आश्वासन दिया था जो हम क़ानूनी रूप से पूरा नहीं कर सकते थे । वास्तव में इसके द्वारा हमने अपने इरादे ज़ाहिर किये । इस तरह ये बातें राजनैतिक हल में बाधा डालती रही । जब कभी हम उनकी कमियां बताते थे तो वे भी हमारी कुछ कमियों का निर्देश कर सकते थे । हां, हमारी सरकार ने समझौता कभी तोड़ा नहीं होगा । यह भेद अवश्य है ।

हमारी सरकार की ओर से विनय के साथ मैं यह कहता हूं । यह सच है कि मैं इसे मानता हूं परन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता । जब यहां समझौता तोड़ा जाता है—जिसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं—और यहां

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आन्दोलन खड़े किये जाते हैं जिनकी प्रतिक्रिया वहां होती है और जिन के कारण वे अपने चूकभूलों का समर्थन कर सकते हैं। अब तक हमारे सामने सब से बड़ी अड़चन यही रही। मैं केवल एक ही वाक्य में बताऊं कि हम यह कर नहीं सकते। आप तो इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण शुद्ध नहीं है और इष्ट भी नहीं है। मैं केवल इतना ही कहूंगा। मेरे माननीय मित्र डा० खरे ने जिस वृत्ति का प्रदर्शन किया है वह स्पष्ट है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की वह वृत्ति है। किन्तु हमारे देश के सौभाग्य से हमारे सामाजिक तथा राजकीय क्षेत्रों में इस मध्ययुगीन विचारप्रणाली का वर्चस्व नहीं है। यह नीति व्यवहार्य भी नहीं है। कुछ लोग समझते होंगे कि इसको अमल में लाया जा सकता है। लेकिन जब कभी इसका प्रयोग हुआ है तब वह असफल ही साबित हुई है। तो फिर हम क्या करें? आज हम केवल छोटी बड़ी सेनाओं के युद्ध की बात तो सोच ही नहीं सकते। संघर्ष में जनता भी बड़े पैमाने में शामिल हो जाती है। इसी लिये आजकल के युद्धों में भारी क्षति होती है। इसी की वजह से युद्ध फलदायी नहीं होते हैं। संक्षेप में, यही कारण है कि युद्ध के द्वारा आर्थिक तथा राजकीय समस्यायें हल नहीं होतीं। अत: युद्ध कीं बातें सहज में करने से वक्ता की अपरिपक्वता प्रगट होती है। आप युद्ध का विचार छोड़ दें। अर्थात् यदि हम पर कोई हमला करता है तो हम अवश्य प्रतिकार करेंगे। हम लड़े भी हैं। परन्तु यदि आप समझते हैं कि युद्ध के द्वारा समस्या का हल हो जायेगा तो उससे आधुनिक शक्ति संतुलन के बारे में तथा युद्ध के परिणामों के बारे में आपकी अनभिज्ञता प्रगट होगी। वह तो केवल साहसिकता तथा मध्य युग की बात होगी।

दुर्भाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे देश से विभिन्न व्यवहार करने पड़ रहे हैं जिसकी वास्तविक बुनियाद मध्ययुगीन है—अर्थात् पाकिस्तान से। तो क्या हम पाकिस्तानी मध्ययुगीनता का मुक़ाबला भारतीय मध्ययुगीनता से करेंगे? इस बात का हमें विचार करना चाहिये क्योंकि इस सदन में ऐसे अनेक लोग हैं जो मध्ययुगीन दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इस दृष्टिकोण का आधुनिक भारत से अद्यावत् प्रश्नों से कोई सम्बन्ध नहीं। केवल भावना के प्रवाह में बह कर वास्तविकता को भूल जाना बहुत खतरनाक है। अब विशेष परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिये? आज की दुनियां में जब कहीं कोई संघर्ष शुरू हो जाता है तो वह चलते ही रहता है। फिर भी कुछ माननीय सदस्य इस प्रकार के सुझाव रखते हैं जिनको स्वीकार करने से संघर्ष शुरू हो जायेगा। वे कल्पना करते हैं कि किसी न किसी तरीके से या जादू से हम युद्ध का अन्त कर समस्या को सुलझा देंगे। अत: मैं सदन से निवेदन करता हूं कि सारी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका विचार किया जाये। हमारे उद्देश्य क्या हैं? आखिर हम कुछ लक्ष्यों की सिद्धि ही तो चाहते हैं। हम केवल मध्ययुगीन बहादुरी का प्रदर्शन करके हतोद्देश्य नहीं बनना चाहते हैं। आज हमारा उद्देश्य क्या है? इस समय हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हो सके उस प्रकार पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की सहायता करना यह हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि वे सुसंस्कृत जीवन बिता कर अपनी उन्नति कर सकें। यह लक्ष्य कैसे सिद्ध होगा? यह स्पष्ट है कि सदन में सुझाये गये कुछ उपायों के द्वारा यह लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। कुछ संशोधनों का उत्तर तो मैं ने दे दिया है। आबादियों अथवा भूमियों की अदला-बदली का सुझाव बिल्कुल निष्फल है। जहां कहीं अराजक पैदा हो जाता है, चाहे वह पाकिस्तान में हो या भारत में, वहां लाखों लोग असहाय बन जाते हैं और उनको प्रत्येक प्रकार की मुसीबत

झेलनी पड़ती है । उनको किसी न किसी प्रकार फिर से बसाने में एक पीढ़ी का समय गारद हो जायेगा । तब तक लाखों लोगों को अराजक तथा पीड़ा सहनी पड़ेगी ।

हम पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की दुरवस्था के बारे में आवाज़ उठाते हैं । यह उचित ही है क्योंकि मुझे कोई सन्देह नहीं कि उनका जीवन अत्यधिक दुःसह है । कभी सरकार के दबाब से और अधिकतर भय के वातावरण से—जो किसी उग्र संकट से भी अधिक दुःसह होता है—उनका जीवन कष्टमय हुआ है । मैं यह चीज़ अच्छी तरह जानता हूं । हमें इस भय के बातावरण का सामना करना है । श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र तथा अन्य मित्रों नें आंकड़े बताये—२० लाख, ३० लाख, ५० लाख । मैं तफ़सील में जाना नहीं चाहता हूं किन्तु हमें आंकड़ों की बात अधिक दक्षता से करनी चाहिये । हमें पहले ठीक ठीक पता लगाना चाहिये । मैं निवेदन करता हूं कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं जो अचूक नहीं भी हुए तो मोटे तौर पर अवश्य यथार्थ हैं । यहां जिन आंकड़ों का बारंबार उल्लेख हुआ वे यथार्थ नहीं थे । और यदि हमें मूर्ति के सब पहलू देखने हैं तो दोनों तरफ़ से देखना होगा । पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में हिन्दू आये हैं और आगे भी आने का संभव है किन्तु इसके साथ उलटी दिशा में भी प्रवाह बहा है । पूर्वी तथा पश्चिम पाकिस्तान में मुसलमानों का प्रवाह बहता आया है । हमें इस समस्या का स्वरूप समझ लेना चाहिये । जब तक हमारे देश में सांप्रदायिक चिल्लाहट जारी है तब तक यहां आदर्श परिस्थिति पैदा नहीं हो सकती । जिस प्रकार के उपाय सुझाये गये हैं उनके अवलम्ब से तो भारत में भी सांप्रदायिक राज्य खड़ा हो जायेगा । माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान की धर्मप्रधान बुनियाद का निर्देश किया और कहा कि वहां इस्लामी राज्य होगा । परन्तु जिन लोगों ने इसका निर्देश किया वे स्वयं भारत में हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग से संतुष्ट हैं ।

एक माननीय सदस्य : सब लोग नहीं, श्रीमान् ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कहता कि माननीय सदस्य उससे संतुष्ट हैं । मैं उन पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूं । यदि कोई गुट—और ऐसे कुछ छोटे गुट हैं—इस प्रकार सोचते हैं तो वे इस्लाम की धर्मप्रधान राज्यव्यवस्था के समर्थक बन जाते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : बिलकुल ग़लत ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है । आप ने जो चित्र बना लिया है उससे भिन्न कोई चित्र देखने के लिये आप असमर्थ हैं । मेरी राय में यह एक अनोखी चीज़ है कि जिस विचारप्रणाली ने पाकिस्तान को तथा विभाजन को जन्म दिया और जो पूर्वी बंगाल में तथा अन्यत्र गड़बड़ पैदा कर रही है उसी को केवल उलटी घुमा कर भारत की सांप्रदायिक संस्थाओं ने अपनाई है जो बड़े ज़ोर शोर से उस के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : वह तो कांग्रेस की विचारप्रणाली है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : वे कांग्रेस की रामराज्य की विचारप्रणाली का निर्देश कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जिन लोगों को इन विचारप्रणालियों का अर्थ आसानी से नहीं समझता उन्हें एकाक्षरी शब्दों में कोई चीज़ समझाना मेरे लिये सुलभ नहीं है । एक बात स्पष्ट है : पाकिस्तान की उथली नकल करके हम इस समस्या को सुलझा नहीं सकते । तो फिर यह समस्या कैसे सुलझाई जाये ? मैं एक छोटा आदमी और बड़ी बात कह रहा हूं—मैं अत्यन्त नम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान की समस्या कल, परसों, एक वर्ष के बाद अथवा दस वर्षों के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बाद भी क्यों न हो, केवल घाव भरने की क्रिया से ही हल हों सकती है। मैं नहीं जानता कि यह क्रिया सफल होने तक क्या क्या होगा। मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं ऐसे दो देश विभक्त नहीं रह सकते जिन की सीमाये हज़ारों मीलों तक लगी हुई हैं, जिनके लोग एक साथ रहे हैं, जिन्हों ने एक साथ काम किया है और कभी कभी झगड़े भी किये हैं और वंश तथा संस्कृति की दृष्टि से जिनका विकास एक ही मूल से हुआ है। कुछ या बहुत लोगों की आज इस विषय में चाहे जो धारणा हो, उन में से कुछ लोग बड़े नेता भी समझे जाते हो फिर भी जो होना है वही होगा। भूत काल को तथा इतिहास के क्रम को बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं कि हमें फिर से मिलना है। यह कब और कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं। हमें भविष्य काल में अधिकाधिक निकट आना है। हो सकता है कि इसके पहले.....

डा० एन० बी० खरे: यही ती अखंड भारत है।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं सदन के सामने केवल अनिवार्य क्रम रखना चाहता हूं। इसके अलावा दूसरा विकल्प परस्पर का नाश कर देने के लिये संघर्ष करते रहने का है। मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बातें कर रहा हूं, आज की कार्यवाही के बारे में नहीं। इन दो विकल्पों के सिवाय तीसरा मार्ग उपलब्ध नहीं।

यह साफ़ है कि न्यूनतम बुद्धिमानी वाला व्यक्ति भी पीढ़ियों तक चलने वाले परस्पर विनाशक संघर्ष का मार्ग पसन्द करने की संभावना नहीं है। अतः मैं चाहता हूं इस अन्तिम आदर्श को हम सदैव दृष्टि में रखें और आज वस्तुस्थिति भिन्न है इस लिये हम अवास्तविक दृष्टिकोण से विचार न करें। यद्यपि हम कहते हैं कि वस्तुस्थिति भिन्न है, फिर भी वह इतनी भिन्न नहीं है। मैं पाकिस्तान के विभिन्न गुटों के बीच फरक देखता हूं जैसे हम भारत में भी देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान में अत्यधिक लोगों को, साधारण जनता को, भारत के बारे में कोई द्वेष नहीं है। वस्तुतः गत पांच वर्षों में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में उन्हें खेद है। मैं यह नहीं कहता कि वे विभाजन को रद्द करना चाहते हैं। उन्हें इन सब बातों के बारे में खेद है। आप इतिहास के चक्र को इस प्रकार उलटी दिशा में घुमा नहीं सकते। परन्तु मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तथा भारत की बहुसंख्या जनता के बीच परस्पर मैत्री का भाव है। मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं। जब तक उन्हें उत्तेजित नहीं किया जाता तथा उभाड़ा नहीं जाता तब तक मैत्री भाव क़ायम रहता है। छोटे छोटे गिरोह उन्हें भड़काया करते हैं और अपने मतलब के लिये उनकी उत्तेजित भावनाओं से लाभ उठाते हैं। क्योंकि सत्ताधारी गुटों के लिये सब से सहज मार्ग यही होता है कि अपनी जनता के दिल में किसी अन्य देश के विरुद्ध द्वेष तथा भय की भावना पैदा कर दे जिस से कि जनता का ध्यान राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं से दूर रहे। ये सारी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं।

हमारे देश के किस नीति से पाकिस्तान की उचित दिशा में प्रगति पर भला या बुरा असर पड़ेगा? यह स्पष्ट है और मुझे आशा है कि मेरे कट्टर विरोधी भी इसको स्वीकार करेंगे कि युद्ध के नारे लगाने से केवल उन लोगों के हाथ मज़बूत होते हैं जो पाकिस्तान में सारा ऊधम मचा रहे हैं। इन नारों के फलस्वरूप उनका वर्चस्व जमा रहता है। वे इन नारों का उपयोग जनता को अपनी असली समस्यायें भुलाये रखने के लिये तथा उसके दिल में भय तथा चिन्ता का वातावरण पैदा करने के लिये करते हैं। अतः हमारे

इस नीति का परिणाम पाकिस्तान की प्रगति के लिये हानिकारक होगा। और वहां के अल्पसंख्यकों को तो तुरन्त नुक़सान पहुंचेगा। आप कोई अधूरा क़दम नहीं उठा सकते। आप को सारी परिस्थिति ध्यान में रखकर कोई अन्य नीति अख़त्यार करनी चाहिये।

मैं ने सदन के सामने मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में रखनें की कोशिश की है। मैं ने कुछ अत्यन्त सरल बातें कहीं हैं। यह समस्या इतनी जटिल तथा नाज़ुक है कि जिसकी पूरी चर्चा करना भी मुश्किल है। मैं इस विषय में और भी कुछ कहूंगा।

इस मामले की ओर और एक दृष्टि से देखिये। समझ लीजिये कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में परिस्थिति और भी बिगड़ जाती है। मुझे आशा है कि सदन यह नहीं पूछेगा कि भविष्य में किसी विशिष्ट परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा। परिस्थिति उपस्थित होने पर उसका विचार होगा। मैं सदन के सामने हमारे सामान्य उद्देश्य रख सकता हूं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या टालना चाहते हैं। आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की बातें भी की गईं। लेकिन वास्तव में आजकल के ज़माने में आर्थिक प्रतिबन्धों का कोई विशेष असर पड़ता नहीं। उनका कुछ मनोवैज्ञानिक मूल्य है किन्तु व्यवहार में उतना महत्व नहीं है। आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण कोई खास दबाव नहीं पड़ता। उस से तो केवल भावना प्रगट होती है। यह बात अलग है। यदि हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करना चाहते हैं, यदि आप समझते हैं कि इसमें कोई लाभ है, तो हम उसका विचार करेंगे। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई लाभ है। मैं समझता हूं कि इससे केवल उन्हीं की मदद होगी जिन्हें हम मदद करना नहीं चाहते हैं। वस्तुतः गत चार या पांच वर्षों में भारत का पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार रुकावटों से भरा हुआ है। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत अधिक नहीं है। एक माननीय सदस्य ने सही कहा कि कुछ विशिष्ट मामलों में पाकिस्तान द्वारा प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं। हम ने भी कुछ विशिष्ट मामलों में प्रतिबन्ध लगाये हैं। उभय पक्षों ने यह किया है। वस्तुतः हमारे बीच बहुत कम व्यापार हो रहा है और तथा कथित व्यापार का अधिकतर अंश तस्कर-व्यापार है। तस्कर व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना आसान नहीं है; अर्थात् आर्थिक दृष्टि से इन प्रतिबन्धों का अधिक महत्व नहीं है। मेरी व्यक्तिगत भावना तो यह है कि यदि भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तिम सौहार्द स्थापित करना हो तो हमारे बीच व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध बढ़ने चाहिये। इन से वहां के अल्पसंख्यकों को भी अधिक सहायत पहुंचेगी न कि केवल बातों से व नारों से। मैं इसी लिये ये बाते कह रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि चन्द उत्तेजित व्यक्तियों को छोड़ कर बाकी सारी पाकिस्तानी जनता सौहार्द चाहती है; उसके लिये तैयार है।

माननीय सदस्य पाकिस्तान के किसी नेता का भाषण अथवा किसी पाकिस्तानी अख़बार का लेख पढ़ते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है। मैं समझता हूं किवहां के कुछ भाषण तथा लेख अत्यन्त आपत्तिजनक होते हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब कोई साधारण पाकिस्तानी नागरिक भारत में छपने वाले कुछ लेख अथवा भाषण पढ़ेगा तो वह भी क्रुद्ध होगा। हम कहते हैं कि 'यह पाकिस्तान की आवाज़ है' जब कि वह पाकिस्तान के किसी गिरोह अथवा गुट की आवाज़ होती है। पाकिस्तानी नागरिक भी इसी प्रकार सोचता है। "यह भारत की आवाज़ है। वे हमें धमकाते हैं। वे तो ज्यों या त्यों करने वाले हैं।" परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति सामान्यतः मित्र था वह भयाकुल होकर विक्षिप्त सा बर्ताव करने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लगता है। अतः इस तरीके से हम अधिक बढ़ नहीं सकते सिवाय इसके कि हमने युद्ध का निर्धार किया हो। फिर तो हम इस रास्ते पर चल सकते हैं। माननीय सदस्य बारबार दृढ़ता की तथा कठोर क़दमों की बातें करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। हो सकता है कि मैं अपनी सरकार की दृढ़ता अथवा दुर्बलता को तौल नहीं सकता। यह तो दूसरों को काम है। हो सकता है कि हम दृढ़ नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी भाषा में हम से अधिक दृढ़ हैं फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही में वे कैसे भी हो। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि सचमुच में दृढ़ता है क्या। इस निन्दा भरी गाली गलोत का क्या अर्थ है? हमें इन बातों का स्पष्ट अर्थ मालूम होना चाहिये।

मुझे मालूम था कि मैं ने ऐसी बातें कही हैं जो आलोचना को बुलावा थीं। मैं ने कहा था: "मैं तुष्टीकरण की नीति से कोई भय अनुभव नहीं करता।" लेकिन मैं ने इसको एक मर्यादा बताई थी। मैं मानवों का अथवा गुटों का तुष्टीकरण करूंगा परन्तु बुराई का नहीं फिर चाहे जो परिणाम भोगने पड़ें। मुझे नहीं समझता कि....

डा० एस० पी० मुखर्जी: आप को तुष्टीकरण की नीति से परावृत करने के लिये बुराई की कितनी मात्रा आवश्यक है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इसका निर्णय बुद्धिमत्ता को करना होगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: सरकार के मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता का प्रकाश कब पड़ेगा?

डा० एन० बी० खरे: क्या तुष्टीकरण का विकास आत्मबलिदान तक हो सकता है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं ने पहले भी यह शब्द जानबूझ कर उपयोग में लाया था कि मैं 'तुष्टीकरण' की नीति से कोई भय अनुभव नहीं करता। और अत्यन्त आदर के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस शब्द का उपयोग करने में मैं ने बहुत धैर्य प्रकट किया है। यूरप, अमरीका तथा अन्य किसी देश में इस शब्द का उपयोग अधिकतर लोग करेंगे नहीं क्योंकि वे उसके अर्थ से डरते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: चेंबरलेन ने हिटलर के साथ यही नीति अख़त्यार की थी और उसे उस पर गर्व भी था।

डा० एन० बी० खरे: वे अपने साथ छाता रखा करते थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू: इन उद्बोधक बाधाओं के लिए मैं आभारी हूं परतु मैं इस तरह तुच्छ सी बातों के साथ भाषण समाप्त करना नहीं चाहता। यह समस्या अत्यंत जटिल है। मैं सरकारी तथा विरोधी पक्ष के सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस समस्या का विचार उच्च अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस समस्या की ओर हमें केवल पक्षदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जहां तक मेरा सवाल है, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ परामर्श करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन जब वृत्ति तथा दृष्टिकोण इतने भिन्न होते हैं तब परामर्श करना कुछ कठिन सा होता है।

किन्तु विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य 'पूर्वी बंगाल दिन' नाम का कोई दिवस मनाने जा रहे हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: 'अखिल भारतीय' दिन।

श्री जवाहरलाल नेहरू: 'अखिल एशिया' क्यों नहीं कहते हो?

डा० एस० पी० मुखर्जी: हम तो आपका अनुकरण कर रहें हैं। कल आप 'अखिल

भारतीय दक्षिण अफ्रीका दिन ' मनाने वाले हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अनुमानतः इस दिन आज इस सदन में दिए गए भाषणों से भी अधिक अनिबंन्ध भाषण दिए जाएंगे, जो धुआंधार ढंग के होंगे। घृणास्पद तथा अमानुष घटनाओं की सब प्रकार की कहानियां बतायी जाएंगी जिनसे उसी प्रकार के विकार उत्तेजित होंगे। मैं जानना चाहतः हूं कि क्या आप इस प्रकार इस समस्या को सुलझाने चाहते हों ? इस समस्या को हल करन के लिए भी, क्या कीई बुद्धिमान या जिम्मेवार व्यक्ति या गुट इस मार्ग पर चलेगा ?

बहस के दौरान में पार-पत्र प्रणाली का निर्देश किया गया। सदन को मालूम है कि हम यह प्रणाली नहीं चाहते थे। हमने इसका विरोध किया किन्तु जब वह एक बाजू से जारी होने लगी तब हमे भी अपनी ओर से जारी करनी पड़ी। तुरन्त हमारे बीच कुछ करार हो गए। जब कुछ दिन के पहले उन्होंने उसको फिर स्थगित करना चाहा, तो हमने उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया और कहा : "हम इसको रद्द कर देने को तैयार हैं परन्तु केवल स्थगित नहीं कर सकते। इसको स्थगित करने से अनिश्चितता की भावना जमी रहती है।"

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब यह प्रणाली जारी हुई तब सारे पूर्वी बंगाल में बहुत लोग रुके पड़े थे। यह सत्य नहीं है। जब पार-पत्र एकाएक जारी कर दिए गए तब सीमा पर तथा अन्यत्र निष्क्रमणार्थी लोग अवश्य थे परन्तु उनके मामले तुरन्त निबटाए गए। कुछ लोग यहां चले आए। उनको पार-पत्र के बदले जल्दी वाले प्रमाण पत्र तथा निष्क्रमण पत्र दिए गए। मेरे साथी श्री विस्वास वहां गए। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है :

"पारपत्र प्रणाली कार्यान्वित होने के बाद नवंबर के पहले हफ्ते के अन्त तक २५० परिवारों को, जिनमें कुल १२५० व्यक्ति थे, ढाका के भारतीय उप उच्च आयुक्त द्वारा निष्क्रमण पत्र प्राप्त हुए। वहां निष्क्रमणोत्सुक हिन्दुओं की कोई भीड़ भाड़ नहीं है। भारतीय उच्च आयोग के एक अधिकारी ने १५ अक्तूबर के बाद शीघ्र ही पूर्वी बंगाल में अनेक स्थानों को भेंट दी और उनको कहीं भीड़भाड़ नज़र नहीं आई। हमें भी अपनी यात्राओं में कोई भीड़भाड़ नहीं दिखी।"

दो बातों के बारे में कोई संदेह नहीं है। अक्तूबर के प्रथम पखवाड़े में जो लोग भाग निकले वे तो पार-पत्र प्रणाली के भय के कारण चल पड़े। उन्होंने सोचा कि आगे उन्हें बाहर जाने में दिक्कत पड़ेगी। किन्तु यह स्पष्ट है कि उनके भय का असली कारण पार-पत्र प्रणाली नहीं है। असली कारण और अधिक गहरा है। अन्यथा वे यहां नहीं आते। उनके दिलों में भविष्य के बारे में अनिश्चितता, असुरक्षितता की भावना तथा असमाधान है। जब उनको शंका हुई कि भविष्य में शायद वे बाहर जाने न पायेंगे तो वे भाग निकले। अब उन्होंने देख लिया है कि कम से कम जो नियम बनाये गये हैं उनके अनुसार, जो निष्क्रमण या प्रवास करना चाहते हों वे कभी भी पार-पत्र लेकर आ जा सकते हैं। अतः भाग निकलने की उनकी इच्छा अब कम हो गई है। लेकिन दूसरी बात हो सकती है। ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे वहां से खिसकना चाहते हैं क्योंकि उनके दिलों में भय व चिन्ता कायम है। हमें विशिष्ट कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता ही है किन्तु साथ ही साथ भय, चिन्ता, आदि जैसे सूक्ष्म बातों का भी विचार करना पड़ता है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अब इस निष्क्रान्त सम्पत्ति का कानून ही लो, जो सौभाग्यवश पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल में जारी नहीं हुआ। यद्यपि हम से पूछ ताछ की गई थी फिर भी यह कानून वहां जारी नहीं हुआ। जहां तक मुझे कानून का ज्ञान है, यह निष्क्रान्त सम्पति कानून याने कानून का अभाव है। परन्तु परिस्थिति से विवस होकर हमें उसका आश्रय लेना पड़ा। पाकिस्तानी कानून इससे भी कुछ बुरा है। इस प्रकार हम धीरे धीरे ऐसी बातें करते जा रहे हैं जो कोई कानूनी जानकार पसंद नहीं करेगा। इस का फल यहां तथा पाकिस्तान में क्या हुआ? इसमें केवल निष्क्रमणकारी ही नहीं बल्कि निष्क्रमणार्थी का भी समावेश है। आप किसी व्यक्ति को निष्क्रमणार्थी घोषित कर देते हैं क्योंकि आप की राय में वह भविष्य में कुछ करने वाला है और आपको उसकी संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है।

श्री गिडवानी : यह सत्य नहीं है। जब तक वह कुछ सम्पत्ति पाकिस्तान नहीं भेजता तब तक उसे निष्क्रमणार्थी करार नहीं दे दिया जाता।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस विषय म मेरे माननीय मित्र श्री चोइथराम गिडवानी से थोड़ा कुछ अधिक जानता हूं। मैं इस कानून के खण्डों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। भारत तथा पाकिस्तान में इसके जो परिणाम होंगे उनकी चर्चा कर रहा हूं। उसके कारण असंख्य लोग सदा के लिए भयभीत रहते हैं; वे व्यापार धन्धा नहीं कर सकते और न संपत्ति बेच सकते—कोई खरीदार सामने नहीं आता कि किसी दिन उन्हें निष्क्रमणार्थी करार न दे दिया जाए। पाकिस्तान तथा भारत में हजारों, लाखों लोग ऐसी हालत में जी रहे हैं। पाकिस्तान में तो परिस्थिति इससे भी बुरी है। हम इन समस्याओं के गुत्थियों में जकड़े गये हैं। यह कहना तो ठीक ही है कि हमारे हाथ साफ हैं और पाकिस्तान के हाथ खून से भरे हुए हैं। मैं मानता हूं कि अधिक मात्रा में न्याय हमारे साथ है। लेकिन हमें भी मानना पड़ेगा कि हमारे हाथ भी उतने साफ नहीं हैं जितने वे होने चाहिए थे। हमें मानना पड़ेगा कि यद्यपि सरकारी स्तर पर तथा अन्यथा हमने अपने यहां के लोगों से उचित बर्ताव किया है, फिर भी हम उनके दिल से भय और चिन्ता नहीं हटा सके हैं। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि हम उचित मार्ग से चलें तो उसके फल उचित ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि यह सदन या यह देश अपमान तथा अप्रतिष्ठा के सामने घुटने टेक दे। मैं नहीं चाहता कि सदन ऐसी किसी बात की अनुमति दे जिस से पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों को हानि पहुंचे। हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कि ये गुत्थियां कैसी सुलझाई जाएं। एक गुत्थी के सिर पर दूसरी बांधने से तो वह सुलझती नहीं। जैसे कि रवीन्द्रनाथ ठाकूर ने कहा था, सन्दूक खोलने के लिए चाबी की जरूरत है, हतोड़े की नहीं। सन्दूक पर हतोड़े के चलाने के जो सुझांव दिये गए हैं, उनसे सन्दूक तो खुलेगी ही नहीं बल्कि सन्दूक तथा अन्य चीजों को नुकसान पहुंचेगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय में हमें दृढ़ता अवश्य धारण करनी चाहिये लेकिन साथ ही साथ विवेक भी नहीं छोड़ना चाहिए और उत्तेजित होकर ऐसा कोई कदम न उठाना चाहिए जिस के लिए बाद में हमें पस्तावा हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या माननीय प्रधान मंत्री पार-पत्र प्रणाली रद्द करने के विषय में पाकिस्तान सरकार के साथ पुनः बात चीत शुरू करने को तैयार हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं । मैंने कहा है कि यदि वे राजी हों तो मैं उस को रद्द करने के लिए तैयार हूं । यदि पुनः बात चीत शुरू करने का अर्थ यह है कि मैं कोई पत्र या तार भेजूं तो मैं यहां जाहिर करता हूं कि उसके लिए भी मैं तैयार हूं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास): उन्हें इस विषय में एक से अधिक तार भेजे जा चुके हैं ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या मैं जान सकता हूं कि गत महीनों में भारत में कौन कौन सी भद्दी बातें हुई हैं ? माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पाकिस्तान को फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा ।

पंडित अलगू राय शास्त्री : यह बात साफ होनी चाहिए ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : उदाहरण के लिए, जिन संस्थाओं का निर्देश मैंने किया है उनके सदस्यों के बहुत से भाषण ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : लेकिन सरकार के हाथ तो बिल्कुल साफ हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे मालूम है, वें साफ हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हमारे लिए वह काफी है ।

इसके बाद **सभापति महोदय** ने सारे संशोधन यथाक्रम प्रस्तुत किए जिनमें से सरदार ए० एस० सहगल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के अलावा बाकी सारे अस्वीकृत हुए । सरदार ए० एस० सहगल का संशोधन इस प्रकार था

> "परिस्थिति पर विचार करने के बाद यह सदन उन सब कदमों का समर्थन करता है जो भारत सरकार अब तक उठा चुकी है ।"

इस प्रस्ताव पर ६·२० (म० प०) बजे मत विभाजन हुआ और अनुकूल २१६ व प्रतिकूल ५९ सदस्य होने से संशोधन स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

> "पाकिस्तान तथा भारत के बीच प्रव्रजन से पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया जाए और परिस्थिति पर विचार करने के बाद यह सदन उन सब कदमों का समर्थन करता है जो भारत सरकार अब तक उठा चुकी है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, १७ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।